[2019] 8 एस. सी. आर. 1017

मेसर्स अदानी पावर (मुद्रा) लिमिटेड।

वी.

गुजरात विद्युत नियामक आयोग और

ओआरएस।

(2011 की सिविल अपील No.11133)

02 जुलाई, 2019

[अरुण मिश्रा, बी. आर. गवई और सूर्या कांत, जे. जे.]

विद्युत अधिनियम, 2003-एस. एस. . 86 86 ((1 1)) ((एफ. एफ.)), 95 95-उत्तरदाता संख्या 2-खरीददार ने बिजली की आपूर्ति के लिए बोली लगाने की प्रक्रिया शुरू की। दीर्घकालिक आधार पर, योग्यता के लिए अनुरोध जारी करके-तीन अलग-अलग बोलियां आमंत्रित की गईं-अपीलार्थी को बोली संख्या के संबंध में एक सफल बोलीदाता के रूप में चुना गया था। 2 1000 मेगावाट बिजली की आपूर्ति के लिए रु। 2.35 प्रति किलोवाट-परिणामस्वरूप, खरीदार और अपीलार्थी के बीच बिजली खरीद समझौता (पी. पी. ए.) हुआ।

अपीलार्थी ने तर्क दिया कि उसके द्वारा प्रस्तुत बोली आधार पर थी

04.01.2010 के प्रभाव से पी. पी. ए.-प्रोक्योरर ने यू/एस. एस. के तहत याचिका दायर की। 86 (1) (च) आयोग के समक्ष अधिनियम, 2003 की धारा 95-आयोग ने अभिनिर्धारित किया कि समाप्ति अवैध थी और अपीलार्थी को निर्देश दिया कि - पी. पी. ए. में निर्धारित दर पर खरीदार को बिजली की आपूर्ति

पीड़ित, अपीलार्थी ने अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर की,

जिसे खारिज कर दिया गया था-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः अपीलीय न्यायाधिकरण ने एक गलत दृष्टिकोण को दर्शाया-यह तय किया गया है कि सामंजस्य स्थापित करने का अर्थ किसी भी वैधानिक प्रावधान को नष्ट करना या इसे अनुचित बनाना नहीं है-एक सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण

कला का अध्ययन। 3.4. 2 और कला। 3.1. 2 पी. पी. ए. ने संकेत दिया कि कला में निर्धारित किसी भी शर्त का पालन न करने की स्थिति में। 3.1. 2 इसके तहत निर्धारित अवधि के भीतर, किसी भी पक्ष, यानी विक्रेता या खरीददार को समाप्त करने का अधिकार है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अनुबंध-इसके अलावा, अपीलीय न्यायाधिकरण यह अभिनिर्धारित करने में पूरी तरह से गलत था कि अनुच्छेद के तहत प्रावधान। 3.4. 2 पी. पी. ए. को केवल तभी लागू किया जा सकता है जब पक्षों के बीच एक समझौता हो कि कला में निर्दिष्ट किसी भी शर्त का उल्लंघन हो। 3.1. 2 पी. पी. ए.-यदि अपीलीय न्यायाधिकरण के इस तरह के दृष्टिकोण को स्वीकार किया जाता है, तो यह कला में पूरी तरह से नई शर्त डालने के बराबर होगा। 3.4. 2 पी. पी. ए. और पक्षकारों के बीच अनुबंध को फिर से लिखने के बराबर होगा; यह कला के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा। 3.4. 2 पी. पी. ए.-और यह कला के प्रावधान करेगा। 3.4. 2 इसके अलावा, इसे एक ऐसी शर्त नहीं कहा जा सकता है जो अनुबंध को व्यावसायिक प्रभावशीलता देने के लिए आवश्यक है-इसके अलावा, अपीलीय न्यायाधिकरण ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि अपीलकर्ता की बोली जी. एम. डी. सी. द्वारा स्वदेशी कोयले की आपूर्ति करने की प्रतिबद्धता के आधार पर नहीं थी-जैसा कि गुजरात सरकार, खरीददार और विक्रेता के बीच विभिन्न संचारों से स्पष्ट है।

जी. एम. डी. सी. कि अपीलार्थी की बोली के आधार पर था

जी. एम. डी. सी. द्वारा स्वदेशी कोयले की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्धता-इस प्रकार, अपीलार्थी द्वारा पी. पी. ए. की समाप्ति कानूनी और वैध थी।

क़ानूनों की व्याख्या-सामंजस्यपूर्ण निर्माण।

विद्युत अधिनियम, 2003। 62 केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सी. ई. आर. सी.) द्वारा प्रतिपूरक शुल्क का निर्धारण

प्रत्यर्थी संख्या 2-खरीददार ने बिजली की आपूर्ति के लिए बोली लगाने की प्रक्रिया शुरू की-अपीलार्थी को एक सफल बोलीदाता के रूप में चुना गया था

रुपये की दर से 1000 मेगावाट बिजली की आपूर्ति। 2.35 प्रति किलोवाट-अपीलार्थी ने तर्क दिया कि उसके द्वारा प्रस्तुत बोली आश्वासन के आधार पर थी

गुजरात खनिज विकास निगम (जी. एम. डी. सी.) द्वारा कोयले की आपूर्ति के लिए दिया गया-यह भी तर्क दिया गया कि जी. एम. डी. सी. ने उक्त आश्वासन का पालन नहीं किया-अपीलकर्ता ने पी. पी. ए. को समाप्त कर दिया-प्रोक्योरर ने यू/एस. एस. के तहत याचिका दायर की। 86 (1) (च) आयोग के समक्ष अधिनियम की धारा 95 - आयोग और अपीलीय न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि समाप्ति अवैध थी और अपीलार्थी को पीपीए द्वारा निर्धारित दर पर खरीददार को शक्ति की आपूर्ति करने का निर्देश दिया-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः

अपीलार्थी द्वारा समाप्ति वैध और कानूनी थी-अपीलार्थी ने आयोग और अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्णय के अनुसार खरीदार को बिजली की आपूर्ति की-आर्थिक न्याय करने के लिए, व्यावसायिक प्रभावकारिता के सिद्धांत पर, अपीलार्थी परियोजना की लागत के समायोजन का हकदार है और परियोजना को पूरा करने के लिए उसके द्वारा किए गए व्यय पर ब्याज का भी हकदार है।

इसलिए, मैसर्स अदानी पावर (मुद्रा) लिमिटेड के निर्धारण के लिए पार्टियों को सी. ई. आर. सी. में भेज दिया गया।

वी. गुजरात

निर्वाचन विनियामक आयोग

अपीलार्थी को देय प्रतिपूरक शुल्क की तारीख से

पी. पी. ए.-सी. ई. आर. सी. (शुल्क के नियम और शर्तें) विनियम 2009 की समाप्ति।

सिद्धांत/सिद्धांत-व्यावसायिक प्रभावकारिता का सिद्धांत -

चर्चा की।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. अपीलीय न्यायाधिकरण की टिप्पणियों ने पूरी तरह से गलत दृष्टिकोण को दर्शाया। अनुच्छेद 3.4 का एक सामंजस्यपूर्ण पठन। 2 और अनुच्छेद 3.1। 2 बिजली खरीद समझौते (पी. पी. ए.) का प्रावधान स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि अनुच्छेद 3.1 में निर्धारित किसी भी शर्त का पालन न करने की स्थिति में। 2 इस अवधि में इसके तहत निर्धारित, किसी भी पक्ष, यानी विक्रेता या खरीददार को अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार है। हालाँकि, किसी भी घटना में, यह विक्रेता का दायित्व है कि वह भुगतान करे

रुपये की दर से परिसमापन क्षति। 10 लाख प्रति मेगावाट। [पैरा 25] [1047-बी-सी]

2. इस न्यायालय का विचार है कि अपीलीय न्यायाधिकरण का निष्कर्ष यह है कि अनुच्छेद 3.4 के तहत प्रावधान हैं। 2 से

पी. पी. ए. को केवल तभी लागू किया जा सकता है जब पक्षों के बीच एक समझौता हो कि अनुच्छेद 3.1 में निर्दिष्ट किसी भी शर्त का उल्लंघन हो। 2 पी. पी. ए. पूरी तरह से गलत है। अगर ऐसा कोई तर्क है

यदि स्वीकार किया जाता है, तो यह अनुच्छेद 3.4 में एक पूरी तरह से नई शर्त डालने के बराबर होगा। 2 पी. पी. ए. और पक्षकारों के बीच अनुबंध को फिर से लिखने के बराबर होगा; यह अनुच्छेद 3.4 के प्रावधानों के लिए पूरी तरह से हिंसा करेगा। 2 पी. पी. ए. से। इसे ऐसी शर्त नहीं कहा जा सकता जो या तो उचित हो या न्यायसंगत हो; इसे ऐसी शर्त भी नहीं कहा जा सकता जो व्यवसाय देने के लिए आवश्यक हो। अनुबंध की प्रभावशीलता; इसे एक ऐसा परीक्षण भी नहीं कहा जा सकता है जो आधिकारिक दर्शक परीक्षण को उचित ठहराता है; इसे एक ऐसी स्थिति भी नहीं कहा जा सकता है जो स्पष्ट अभिव्यक्ति में सक्षम हो; यह ऐसी शर्त भी नहीं है जो अनुबंध की किसी भी व्यक्त शर्तों का खंडन नहीं करती है। इसके विपरीत, यह एक ऐसी शर्त है जो अनुच्छेद 3.4 के कार्यकाल को पूरी तरह से बदल देगी। 2 पी. पी. ए. से। इसलिए, हमारा विचार है कि अपीलीय न्यायाधिकरण ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने में घोर गलती की है कि अनुच्छेद 3.4। 2 पी. पी. ए. को केवल उस स्थिति में लागू किया जा सकता है जब कोई समझौता [2019] 8 एस. सी. आर. हो।

न्यायाधिकरण को स्वीकार कर लिया जाता है, यह बनाने के बराबर होगा अनुच्छेद 3.4 के प्रावधान। 2 एक मृत पत्र और उन्हें ओटिएज़ प्रस्तुत करना। [पैरा 31] [1051-एफ-जी]

4. वर्तमान मामले में, विभिन्न अनुच्छेदों का अवलोकन किया जाएगा

यह बताता है कि अनुच्छेद 14 के तहत प्रावधान सामान्य प्रकृति के हैं। अनुच्छेद 3.4 के तहत प्रावधान। 2 विशिष्ट है, केवल अनुच्छेद 3.1 के तहत प्रदान की गई किसी भी शर्त का पालन न करने के मामले में लागू किया जाना है। 2 . इस प्रकार, अनुच्छेद 3.4 में विशेष प्रावधान किया गया है। 2 अनुबंध के अनुच्छेद 14 में निहित सामान्य प्रावधानों की प्रयोज्यता को बाहर कर देगा। [पैरा 34] [1051-एफ]

5. उक्त बोली दस्तावेज में दी गई परियोजना के संक्षिप्त सारांश में, अपीलार्थी द्वारा इसका विशेष रूप से उल्लेख किया गया है।

(जीएमडीसी)। बोली दस्तावेज भी पक्षों के बीच पी. पी. ए. का हिस्सा हैं। [पैरा 37] [1052-सी] 6. इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि गुजरात सरकार ने भी स्पष्ट रूप से संकेत दिया है कि प्रतिस्पर्धी बोली में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत बोली इस आधार पर थी -

जी. एम. डी. सी. द्वारा मोरगा-2 खदानों से कोयले की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्धता। इसलिए इसने जी. एम. डी. सी. के प्रबंध निदेशक से अनुरोध किया है कि वे मोरगा ब्लॉक से 50 प्रतिशत कोयला राज्य सरकार को दे दें।

अपीलार्थी। इसलिए राज्य सरकार ने अनुरोध किया था कि जी. एम. डी. सी. के प्रबंध निदेशक को मोरगा ब्लॉक से कोयला आवंटन के लिए जाना चाहिए। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि, यहाँ तक कि खरीदार भी

वे इस बात से अवगत थे कि अपीलार्थी की बोली जी. एम. डी. सी. द्वारा स्वदेशी कोयले की आपूर्ति करने की प्रतिबद्धता के आधार पर थी।

[पारस 39 और 41] [1053-बी, सी, एफ-जी] एम/एस अदानी पावर (मुद्रा) लिमिटेड।

7. इस दृष्टिकोण से, जी. एम. डी. सी. द्वारा अपनी प्रतिबद्धता से पीछे हटने और ईंधन आपूर्ति समझौते में प्रवेश करने से इनकार करने के बाद

(एफ. एस. ए.) अपीलार्थी के साथ, अपीलार्थी को अनुच्छेद 3.4 का आह्वान करने में उचित ठहराया गया था। 2 अनुच्छेद 3.1 में शर्त सं. (ii) का पालन न करने को ध्यान में रखते हुए पी. पी. ए. 2 क्योंकि यह ईंधन आपूर्ति समझौते का उत्पादन करने में विफल रहा था। [पैरा 43] [1054-ई]

8. उपरोक्त निष्कर्ष के आलोक में, यह न्यायालय यह समझने में विफल रहा है कि अपीलीय न्यायाधिकरण इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा है कि अपीलार्थी की बोली जी. एम. डी. सी. द्वारा स्वदेशी कोयले की आपूर्ति करने की प्रतिबद्धता के आधार पर नहीं थी। यह न्यायालय है

विचार किया गया कि अपीलीय न्यायाधिकरण ने तथ्यों और कानून दोनों में गलती की है। इस न्यायालय का विचार है कि अपीलार्थी कानून के साथ-साथ तथ्यों पर भी अनुच्छेद 3.4 लागू करने का हकदार था। 2 पी. पी. ए. का गठन करें और समझौते को समाप्त करें। [पैरा 44]

[1054 - एच; 1055-ए]

9. अब सवाल यह उठेगा कि अपीलार्थी बिजली की आपूर्ति की तारीख से किस दर पर प्रतिपूरक शुल्क का हकदार है। निर्विवाद रूप से, पी. पी. ए. के वैध रूप से समाप्त होने के बाद भी, अपीलार्थी ने परियोजना को उसके तार्किक अंत तक ले जाना जारी रखा। परियोजना के चालू होने के बाद, इसने आयोग और अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्णय के अनुसार खरीदार को बिजली की आपूर्ति शुरू कर दी है। अपीलार्थी ने इस पर भारी खर्च किया होगा। आर्थिक न्याय करने के लिए, व्यावसायिक प्रभावकारिता के सिद्धांत पर, अपीलार्थी परियोजना की लागत के समायोजन का हकदार होगा और परियोजना को पूरा करने के लिए उसके द्वारा किए गए व्यय पर ब्याज का भी हकदार होगा। खुले बाजार से कोयला प्राप्त करने के बाद परियोजना को चलाने के लिए होने वाले खर्च को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। अपीलार्थी भुगतान में देरी पर ब्याज का भी हकदार होगा।

केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सी. ई. आर. सी.) द्वारा निर्धारित की जाने वाली दर के निर्धारण पर भुगतान प्राप्त करने के बाद। [पैरा 49] [1056-डी-जी]

10. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62, सी. ई. आर. सी. द्वारा शुल्क के निर्धारण के लिए संपूर्ण तंत्र प्रदान करती है। यह होगा।

यह ध्यान रखना भी प्रासंगिक होगा कि सी. ई. आर. सी. (शुल्क के नियम और शर्तें) विनियम 2009 भी विभिन्न कारकों पर विचार करता है जो [2019] 8 एस।

सी. ई. आर. सी. द्वारा क्षतिपूर्ति शुल्क निर्धारित करने पर विचार किया जाना आवश्यक है। इस न्यायालय ने पाया कि निर्णय के लिए पक्षों को सी. ई. आर. सी. के पास भेजना उचित होगाः

पी. पी. ए. की समाप्ति से अपीलार्थी को देय प्रतिपूरक शुल्क। इस तरह के दृढ़ संकल्प के बाद, प्रो.

यदि पहले से ही सी. ई. आर. सी. द्वारा निर्धारित राशि से 23.11.2015 दिनांकित शपथ पत्र के अनुसार भुगतान किया गया है, तो वह राशि को समायोजित करने का हकदार होगा। [पैरा 50] [1056-जी-एच; 1057-ए]

कलकत्ता गैस कंपनी (स्वामित्व) लिमिटेड बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य एआईआर 1962 एससी 1044: [1962] पूरक।

एस. सी. आर. 1 का अनुसरण किया गया।

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम और अन्र. वी. डायमंड एंड जेम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ए. एन. आर. (2013) 5 एस. सी. सी. 470 [2013] 4 एस. सी. आर. 331; भारत एल्यूमीनियम कंपनी बनाम। कैसर एल्यूमीनियम तकनीकी सेवा आई. एन. सी. (2016) 4 एस. सी. सी. 126: [2016] 1 एस. सी. आर. 364; नाभा पावर लिमिटेड (एन. पी. एल.) v. पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पी. एस. पी. सी. एल.) और ए. एन. आर. (2018) 11 एस. सी. सी. 508; सुल्ताना बेगम बनाम। प्रेम चंद जैन ए. आई. आर 1997 एस. सी. 1006: [1996] 9 पूरक। एससीआर 707; अनवर हसन खान बनाम। मोहम्मद शफी और अन्य ए. आई. आर. 2001 एस. सी. 2984; जे. के. कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, एआईआर 1961 एससी 1170:

[1961] एस. सी. आर. 185; महाराष्ट्र राज्य बोर्ड

माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा और अन्य। वी. परितोष भुपेशकुमार सेठ और अन्य। (1984) 4

एस. सी. सी. 27 [1985] 1 एस. सी. आर. 29-पर निर्भर था।

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बनाम। अमृतसर गैस सर्विसेज लिमिटेड, (1991) 1 एस. सी. सी. 533 [1990] 3 पूरक। एससीआर 196; महारानी शांति देवी गायकवाड़ बनाम। सावजी

हरिभाई पटेल और अन्य। (2001) 5 एस. सी. सी. 101 [2001] 2 एस. सी. आर. 590; वर्मागिरी बनाम। ट्रान्स्को, 2007 एससीसी ऑनलाइन

एपीटीईएल 107-संदर्भित

बेलीज के महान्यायवादी बनाम। बेलीज टेलीकॉम लिमिटेड, (2009)

1 डब्ल्यूएलआर 1988 (पीसी)-संदर्भित।

मेसर्स अदानी पावर (मुद्रा) लिमिटेड। वी. गुजरात विद्युत नियामक आयोग

मामला कानून संदर्भ

[1990] 3 पूरक। एससीआर 196

संदर्भित किया गया है

पै

रा 10

[2001] 2 एससीआर 590

संदर्भित किया गया है

पै

रा 10

[2013] 4 एससीआर 331

उस पर भरोसा करें

पै

रा 16

[2016] 1 एससीआर 364

उस पर भरोसा करें

पै

रा 17

(2018) 11 एस. सी. सी. 508

उस पर भरोसा करें

पै

रा 18

[1962] पूरक। एससीआर 1

पीछा किया।

पै

रा 28

[1996] 9 पूरक। एससीआर 707

उस पर भरोसा करें

पै

रा 29

उस पर भरोसा करें

पै

रा 29

आकाशवाणी 2001 एससी 2984

[1961] एससीआर 185

उस पर भरोसा करें

पै

रा 32

[1985] 1 एससीआर 29

उस पर भरोसा करें

पै

रा 33

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 11133

2011 से।

अपीलीय के 07.09.2011 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2010 की अपील संख्या 184 में विद्युत न्यायाधिकरण।

गोपाल जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता। , आशीष प्रसाद, सुश्री मुक्ता दत्ता, अविनाश

त्रिपाठी, महफूज ए. नाज़की, प्रवीण कुमार, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

एम. जी. रामचंद्रन, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री रंजीता रामचंद्रन,

सुश्री विशाखा, श्रीमती हेमंतिका वाही के लिए सुश्री पूजा सिंह, सुश्री स्वाति भारद्वाज, मैसर्स। पारेख एंड कंपनी, प्रशांत भूषण, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

बी. आर. गवई, जे.

1. अपीलार्थी ने इससे व्यथित होकर इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है -

विद्युत के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण ("संक्षिप्त में अपीलीय न्यायाधिकरण") द्वारा 2010 की अपील संख्या 184 दिनांक 1 में पारित निर्णय और आदेश जिससे वर्तमान अपीलार्थी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया गया।

और गुजरात विद्युत नियामक आयोग (संक्षेप में "आयोग") द्वारा पारित दिनांक 31.08.2010 के निर्णय और आदेश की पुष्टि करते हुए।

19] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2. वर्तमान अपील को जन्म देने वाले संक्षिप्त तथ्य नीचे दिए गए हैं।

प्रत्यर्थी संख्या 2, अर्थात् गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड।

(इसके बाद "खरीददार" के रूप में संदर्भित) एक होल्डिंग कंपनी है जो बिजली उत्पादकों और आपूर्ति से थोक खरीद के व्यवसाय में लगी हुई है।

गुजरात राज्य में वितरण कंपनियों को। 01.02.2006 पर, खरीदार ने योग्यता के लिए अनुरोध (संक्षेप में "RFQ") जारी करके दीर्घकालिक आधार पर बिजली की आपूर्ति के लिए बोली लगाने की प्रक्रिया शुरू की। के अनुसार बिजली की खरीद के लिए तीन अलग-अलग बोलियां विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के प्रावधानों को आमंत्रित किया गया था। तीन बोलियों में से प्रत्येक में अधिकतम 2000 मेगावाट (संक्षेप में "मेगावाट") बिजली की खरीद की परिकल्पना की गई थी। आरएफक्यू के बाद 24.11.2006 पर प्रस्ताव के लिए अनुरोध (संक्षेप में "आरएफपी") था। वर्तमान मामला बोली संख्या 2 से संबंधित है जिसके संबंध में अपीलार्थी को एक सफल बोलीदाता के रूप में चुना गया था।

3. बोली प्रक्रिया में सफल होने पर, खरीददार ने बोली संख्या के संबंध में एक आशय पत्र (संक्षिप्त में "एल. ओ. आई".) जारी किया। 2 , रुपये की दर से 1000 मेगावाट बिजली की आपूर्ति के लिए 11.01.2007 पर अपीलार्थी को। 2.35 प्रति

केडब्ल्यूएच। नतीजतन, गुजरात राज्य के नानी खाखर में वितरण बिंदु पर कोरबा, छत्तीसगढ़ में अपीलार्थी की बिजली परियोजना से 1000 मेगावाट बिजली की खरीद और बिक्री के लिए खरीदार और अपीलार्थी के बीच बिजली खरीद समझौता (संक्षेप में "पीपीए") हुआ। इसी तरह, 06.02.2007 पर बोली संख्या 1 के संबंध में अपीलार्थी के साथ खरीदार द्वारा एक और पी. पी. ए. निष्पादित किया गया, जिसे आयातित कोयले का उपयोग करके निष्पादित किया जाना था। निर्धारित दर रुपये थी। 2.89 बोली संख्या 1 के संबंध में प्रति इकाई।

4. 12.02.2007 पर, अपीलार्थी ने खरीदार को सूचित किया कि वह गुजरात में मुंद्रा बिजली परियोजना से बोली संख्या 2 के विरुद्ध बिजली की आपूर्ति करेगा।

छत्तीसगढ़ परियोजना के बजाय। तदनुसार, मुंद्रा विद्युत परियोजना से बोली संख्या 2 के मुकाबले 1000 मेगावाट की अनुबंधित क्षमता को लेने के लिए अपीलकर्ता और खरीदार के बीच 18.04.2007 पर एक पूरक पीपीए किया गया था।

5. अपीलार्थी ने तर्क दिया कि, इस संबंध में उसके द्वारा प्रस्तुत बोली

बोली संख्या 2 गुजरात खनिज विकास निगम (संक्षेप में "जी. एम. डी. सी".) द्वारा 40 लाख टन कोयले की आपूर्ति के लिए दिए गए आश्वासन के आधार पर थी। इसने यह भी तर्क दिया कि जी. एम. डी. सी. उक्त आश्वासन का पालन नहीं कर रहा था। इसलिए इसने समाधान खोजने के लिए गुजरात सरकार को 21.05.2007 पर एक संचार को संबोधित किया।

ईंधन आपूर्ति समझौते के बाद से मेसर्स अदानी पावर (मुद्रा) लिमिटेड। वी. गुजरात विद्युत नियामक आयोग [बी. आर. गवई, जे.]

(" एफ. एस. ए. "संक्षेप में) को निष्पादित नहीं किया जा सका, जैसा कि अपीलार्थी और जी. एम. डी. सी. के बीच विचार किया गया था; अपीलार्थी ने खरीददार को सूचित किया कि उसके और जी. एम. डी. सी. के बीच एफ. एस. ए. को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। पुनः, अपीलार्थी द्वारा गुजरात सरकार को 01.05.2008 पर एक संदेश भेजा गया, जिसमें अनुरोध किया गया कि वह जी. एम. डी. सी. को अपने आश्वासन का पालन करने और जी. एम. डी. सी. को आवंटित कोयला ब्लॉकों से कोयले की आपूर्ति करने के लिए प्रभावित करे। इसके बाद, जून, 2008 के महीने में, खरीददार ने अपीलकर्ताओं को एक संदेश में कहा कि चूंकि उसने पी. पी. ए. में निर्धारित कुछ शर्तों का पालन नहीं किया है और इसलिए उसे एक अतिरिक्त प्रदर्शन बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी चाहिए। अपीलार्थी ने 17.01.2009 पर खरीददार को एक और संचार संबोधित किया, जी. एम. डी. सी. के साथ एफ. एस. ए. की अनुपस्थिति में खरीददार को बिजली की आपूर्ति करने में अपनी असमर्थता को दोहराते हुए। इसने यह भी बताया कि उसके पास पी. पी. ए. को समाप्त करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। 27.02.2009 पर, गुजरात सरकार ने जी. एम. डी. सी. को पत्र लिखकर नैनी ब्लॉक से अपीलार्थी को कोयले की आपूर्ति करने के लिए कहा।

6. ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी और उसके बीच विवाद था।

एफ. एस. ए. के कुछ नियमों और शर्तों के संबंध में जी. एम. डी. सी. और इस तरह एफ. एस. ए. को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। अभिलेख से आगे पता चलता है कि सरकार के बीच एक लंबा पत्राचार हुआ था

बोली संख्या 2 और उक्त का पालन न करने के लिए जी. एम. डी. सी. प्रतिबद्धता। अपीलार्थी ने 15.11.2008 दिनांकित एक संचार को संबोधित किया जिसमें विशेष रूप से खरीददार को सूचित किया गया था कि बोली के आधार पर

जी. एम. डी. सी. द्वारा कोयले की आपूर्ति का आश्वासन। इसने खरीददार को यह भी सूचित किया कि हालांकि यह बाद की अन्य सभी शर्तों का पालन करने की स्थिति में था, लेकिन वे जी. एम. डी. सी. के बाद से एफ. एस. ए. को निष्पादित करने में असमर्थ हैं। उन्होंने इस मामले में सहयोग नहीं किया। एक अन्य संचार अपीलार्थी द्वारा 17.01.2009 पर संबोधित किया गया था जिसमें दोहराया गया था कि जी. एम. डी. सी. के साथ एफ. एस. ए. की अनुपस्थिति में, अपीलार्थी जी. यू. वी. एन. एल./खरीदार को एफ. एस. ए. की अनुपस्थिति में बिजली की अनुबंधित क्षमता की आपूर्ति करने की स्थिति में नहीं होगा।

जीएमडीसी। इसने आगे बताया कि अपीलार्थी के पास पी. पी. ए. को समाप्त करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होगा जब तक कि मोरगा-II कोयला ब्लॉक से जी. एम. डी. सी. से कोयले की आपूर्ति नहीं होती है। हालाँकि, ऐसा प्रतीत होता है कि इसके बाद, अपीलार्थी, खरीददार, जी. एम. डी. सी. के साथ-साथ गुजरात सरकार के बीच मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने का प्रयास किया गया था। के रूप में

इस प्रकार, अपीलार्थी ने 28.04.2009 दिनांकित संचार को संबोधित करते हुए अपने दिनांकित 15.11.2008 और 17.01.2009 के नोटिसों को मामले [2019] 8 एस. सी. आर. तक स्थगन में रखा।

अपीलार्थी और जी. एम. डी. सी./गुजरात सरकार के बीच समाधान किया गया था। हालाँकि, ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त प्रयास सफल नहीं हुए।

अंत में, अपीलार्थी ने दिनांक 28.12.2009 के एक संचार द्वारा, खरीदार को नोटिस जारी किया, जिसमें 04.01.2010 से पीपीए को समाप्त कर दिया गया।

खरीदार ने गुजरात सरकार को 30.12.2009 पर एक संचार को संबोधित किया, जिसमें सरकार से अनुरोध किया गया कि वह अपीलार्थी को अपने दिनांकित 28.12.2009 समाप्ति नोटिस को वापस लेने के लिए प्रभावित करे और अपीलार्थी के साथ एफ. एस. ए. के समाधान के लिए जी. एम. डी. सी. को भी प्रभावित करे। खरीदार ने 05.01.2010 पर अपीलार्थी को एक संचार भी संबोधित किया, जिसमें उससे समाप्ति की सूचना दिनांक 28.12.2009 में रखने का अनुरोध किया गया।

ठहराव। 06.01.2010 पर, अपीलार्थी ने खरीददार को एक और संचार संबोधित किया, जिसमें बताया गया कि चूंकि समाप्ति की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है, इसलिए 4.01.2010 से पी. पी. ए. समाप्त हो गया है। द.

अपीलार्थी ने रुपये की राशि भी जमा की। 25 निष्पादन बैंक के अलावा परिसमापन नुकसान के लिए खरीदार के साथ करोड़ रुपये

रुपये की गारंटी। 75 करोड़, जो पहले से ही खरीदार के पास था। 13.01.2010 पर खरीदार ने अपीलार्थी को एक पत्र भेजा, जिसमें रुपये की राशि वापस कर दी गई। 25 करोड़ और इसे समाप्ति नोटिस वापस लेने के लिए कहते हैं। हालाँकि, अपीलार्थी ने जोर देकर कहा कि समाप्ति वैध थी।

7. इसके बाद खरीददार ने धारा 86 (1) (एफ) के तहत याचिका दायर की।

और आयोग के समक्ष 01.02.2010 पर खरीदार और अपीलार्थी के बीच विवाद के निर्णय के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 95। आयोग ने अपने दिनांक आई. डी. 1 के निर्णय द्वारा खरीददार की याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि पी. पी. ए. की समाप्ति अवैध थी और अपीलार्थी को पी. पी. ए. में निर्धारित दर पर खरीददार को बिजली की आपूर्ति करने का निर्देश दिया। व्यथित होकर, अपीलार्थी ने संपर्क किया विद्युत के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण। दिनांक 07.09.2011 के विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपील को खारिज कर दिया। इसलिए, वर्तमान अपील।

8. हमने अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री गोपाल जैन और उनके विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एम. जी. रामचंद्रन को सुना है।

प्रतिवादी (ओं)। 9. अपीलार्थी की ओर से मुख्य तर्क यह है कि बोली संख्या 2 के संबंध में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई बोली चालू थी।

जी. एम. डी. सी. द्वारा दी गई प्रतिबद्धता का आधार कि वह कोयले की आपूर्ति करेगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थी और खरीददार के बीच निष्पादित पी. पी. ए. इस आधार पर था कि जी. एम. डी. सी. अपने मेसर्स अदानी पावर (मुद्रा) लिमिटेड का पालन करेगा।

कि जब तक कि पक्षों के बीच इस आशय का कोई समझौता नहीं था कि अनुच्छेद में उल्लिखित शर्तों का पालन नहीं किया गया था 3.1. 2 पी. पी. ए. के अनुसार, अपीलार्थी अनुच्छेद 3.4 के प्रावधानों को लागू करने का हकदार नहीं था। 2 पी. पी. ए.। श्री जैन ने आगे कहा कि चूंकि अनुबंध में परिसमापन क्षति के लिए भी प्रावधान किया गया है, इसलिए आयोग के साथ-साथ अपीलीय न्यायाधिकरण को विशिष्ट प्रदर्शन के लिए कोई निर्देश नहीं देना चाहिए था। इस संबंध में रिलायंस को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बनाम अमृतसर गैस सर्विसेज लिमिटेड, (1991) 1 एस. सी. सी. 533 और महारानी शांति देवी गायकवाड़ बनाम सावजी हरिभाई पटेल और अन्य के मामले में इस न्यायालय के फैसलों पर रखा गया है। (2001) 5 एससीसी 101।

11. श्री जैन ने आगे कहा कि अपीलीय न्यायाधिकरण ने विवादित फैसले द्वारा निष्पादित अनुबंध की शर्तों को अलग-अलग किया है।

पक्षकार, जिनकी कानून में अनुमति नहीं है। इस संबंध में रिलायंस को वर्मागिरी बनाम ट्रांस्को, 2007 एस. सी. सी. ऑन लाइन ए. पी. टी. ई. एल. 107 और गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड बनाम गुजरात विकास निगम लिमिटेड के मामले में इस न्यायालय के फैसलों पर रखा गया है। सोलर सेमीकंडक्टर पावर कंपनी, (2017) 16 एससीसी 498।

12. इसके विपरीत, खरीददार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री रामचंद्रन प्रस्तुत करेंगे कि पी. पी. ए.

पार्टियों के बीच प्रवेश किया गया था, जी. एम. डी. सी. द्वारा प्रतिबद्धता के आधार पर निष्पादित नहीं किया गया था। वह प्रस्तुत करता है कि खरीददार इस मुद्दे से चिंतित नहीं है कि अपीलार्थी इसके लिए कहाँ से व्यवस्था करेगा।

कोयले की आपूर्ति। अपीलार्थी और खरीददार के बीच पी. पी. ए. केवल बिजली की आपूर्ति के संबंध में है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि स्वदेशी कोयले की आपूर्ति के लिए अपनी प्रतिबद्धता का पालन करने में जी. एम. डी. सी. की विफलता पर, यह था

अपीलार्थी की एक वैकल्पिक स्रोत की व्यवस्था करने और किसी अन्य कोयला आपूर्तिकर्ता के साथ एफ. एस. ए. में प्रवेश करने की जिम्मेदारी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वास्तव में, अपीलार्थी अन्य [2019] 8 एस. सी. आर. से कोयला आयात कर रहा है।

राष्ट्र और बिजली उत्पादन के लिए इसका उपयोग, बोली संख्या 1 के तहत संयंत्र और बोली संख्या 2 के तहत संयंत्र दोनों के लिए। श्री रामचंद्रन, विद्वान वरिष्ठ वकील, आगे प्रस्तुत करते हैं कि ईंधन आपूर्ति की व्यवस्था नहीं करके, यह अपीलकर्ता है जिसने चूक की थी और इसलिए, चूक में एक पक्ष को समझौते को समाप्त करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस संबंध में अंग्रेजी न्यायालयों के साथ-साथ इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर भरोसा किया जाता है। इस प्रस्ताव के समर्थन में इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर भी भरोसा रखा गया है कि पी. पी. ए. में परिसमापन हर्जाने के प्रावधान के बावजूद, अदालतें अनुबंध के एक विशिष्ट प्रदर्शन का निर्देश देने के लिए शक्तिहीन नहीं हैं।

13. श्री रामचंद्रन ने आगे कहा कि अनुबंध है

समग्र रूप से पढ़ने की आवश्यकता है और अनुबंध के प्रावधानों को अलग से नहीं पढ़ा जा सकता है। इसलिए, वह प्रस्तुत करता है कि आयोग के साथ-साथ अपीलीय न्यायाधिकरण ने उचित रूप से अभिनिर्धारित किया है कि अनुच्छेद 3.4। 2 और लेख

14.1 और अनुच्छेद 14.2 को एक साथ पढ़ना होगा। इस प्रकार, आयोग और अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए तर्क में कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकी। इसलिए, विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करते हैं कि अपील में कोई योग्यता नहीं है और बर्खास्त किए जाने के योग्य है।

14. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों का मूल्यांकन करने के लिए पी. पी. ए. के कुछ खंडों का उल्लेख करना आवश्यक होगाः

अनुच्छेद 3 का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः

" 3. अनुच्छेद 3: शर्तों की अनिवार्यता

विक्रेता और विक्रेता द्वारा संतुष्ट

प्रक्रियायुक्त

3.1

विक्रेता द्वारा बाद की शर्तों की संतुष्टि

3.1. 1

XXX

विक्रेता सहमत होता है और विधिवत प्रदर्शन करने का वचन देता है और

3.1. 2

निम्नलिखित गतिविधियों को (i) प्रभावी तिथि से बारह (12) महीने या (ii) चौदह (14) के भीतर पूरा करें।

आशय पत्र जारी करने की तारीख से महीने, जो भी बाद में हो, जब तक कि इस समझौते के तहत अपने दायित्वों का पालन करने में खरीदार की विफलता या किसी भी आकस्मिक घटना या यदि किसी भी गतिविधि को विशेष रूप से लिखित रूप में माफ नहीं किया जाता है, तो इस तरह का पूरा होना प्रभावित नहीं होता है।

खरीदार द्वाराः

दानी पावर (मुद्रा) लिमिटेड। वी. गुजरातवाई नियामक आयोग [बी. आर. गवई, जे.]

आई. XXX

ii. विक्रेता ने ईंधन आपूर्ति समझौते को लागू किया होगा।

और उसी की प्रतियाँ खरीददार को प्रदान कीं। ”

अनुच्छेद 3.4 का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः

शर्तों को पूरा न करने के परिणाम

अनुच्छेद 3.1

XXX

अनुच्छेद 3.4 के अधीन। 3 , यदिः

अनुच्छेद 3.1 में निर्दिष्ट किसी भी शर्त की पूर्ति। 2 तीन (3) महीनों की अवधि से अधिक विलंबित है और विक्रेता अनुच्छेद के अनुसार खरीदार को कोई अतिरिक्त प्रदर्शन गारंटी देने में विफल रहता है।

3.4. 1 यहाँ से; या

विक्रेता अनुच्छेद 3.4 के अनुसार खरीददार को अतिरिक्त प्रदर्शन गारंटी प्रदान करता है। 1 लेकिन अनुच्छेद 3.1 में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने में विफल रहता है। 2 उसमें निर्दिष्ट अवधि से आगे आठ (8) महीनों की अवधि के लिए, खरीददार या विक्रेता के पास होगा -

विक्रेता/खरीददार को कम से कम सात (7) की लिखित सूचना देकर इस समझौते को समाप्त करने का अधिकार।

दिन होते हैं।

यदि खरीददार या विक्रेता इस अनुच्छेद 3.4 के पूर्ववर्ती पैराग्राफ में निर्दिष्ट घटना में इस समझौते को समाप्त करने का विकल्प चुनता है। 2 , विक्रेता खरीदार को रुपये के बराबर राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। 10.00 परिसमापन क्षति के रूप में संविदित क्षमता के प्रति मेगावाट लाख। खरीदार का अधिकार होगा - नुकसान की इस राशि की वसूली का आह्वान करके

रुपये 10.00 लाख प्रति मेगावाट के बराबर राशि की सीमा तक प्रदर्शन गारंटी

संविदित क्षमता और फिर शेष प्रदर्शन गारंटी, यदि कोई हो, विक्रेता को वापस कर देगा। यदि खरीददार उक्त राशि या उसके किसी भी हिस्से को प्रदर्शन गारंटी [2019] 8 एस. सी. आर. से वसूल करने में असमर्थ है।

आर. ई. एम. ई. कोर्ट रिपोर्ट

प्रदर्शन गारंटी से वसूल नहीं की गई राशि, यदि कोई हो, विक्रेता द्वारा आठ (8) महीनों के अंत से दस (10) दिनों के भीतर खरीदार को देय होगी।

शर्तों को पूरा करने की नियत तारीख से अवधि बाद में। संदेह को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि यह अनुच्छेद इस समझौते की समाप्ति से बच जाएगा।

विक्रेता को शर्तों को पूरा करने में असमर्थता का मामला

अनुच्छेद 3.1 में निर्दिष्ट। 2 किसी भी आकस्मिक घटना के कारण, अनुच्छेद 3.1 में उल्लिखित शर्त के बाद की पूर्ति के लिए समय अवधि। 2 , के लिए विस्तारित किया जाएगा

ऐसी आकस्मिक घटना की अवधि, एक के अधीन

दस (10) महीनों की अधिकतम विस्तार अवधि,

कुल मिलाकर निरंतर या गैर-निरंतर। इसके बाद, इस समझौते को खरीदार या विक्रेता द्वारा दूसरे पक्ष को लिखित रूप में कम से कम सात (7) दिनों का नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है।

आयोग और अपीलीय न्यायाधिकरण ने

अनुच्छेद 14, हम भी उसी का पुनरुत्पादन करते हैं।

अनुच्छेद 14 क्षति और हानि की घटनाएँ

परिसीमन

पूर्वनिर्धारित विक्रेता घटना

निम्नलिखित में से किसी भी घटना की निरंतरता और निरंतरता, ऐसी कोई भी घटना बल दुर्घटना या इसके तहत अपने दायित्वों के प्रोक्योरर द्वारा उल्लंघन के परिणामस्वरूप होती है।

अर्थात, डिफ़ॉल्ट रूप से एक विक्रेता घटना का गठन करेगाः

किसी भी इकाई को उसके अनुसूचित वाणिज्यिक के बारह (12) महीने बाद आने वाली तारीख तक चालू करने में विफलता

संचालन तिथि, या

परियोजना के निर्माण की शुरुआत के बाद,

विक्रेता या विक्रेता द्वारा त्याग

निर्माण के ठेकेदार

दो (2) महीनों की निरंतर अवधि के लिए परियोजना और इस तरह के चूक को तीस (30) दिनों के भीतर ठीक नहीं किया जाता है। इस संबंध में खरीददार से पहली सूचना की प्राप्ति,

या एएनआई पावर (मुद्रा) लिमिटेड। वी. गुजरातवाई नियामक आयोग [बी. आर. गवई, जे.]

यदि किसी इकाई के चालू होने के बाद किसी भी समय और उसके पुनः परीक्षण के दौरान, अनुच्छेद 8 के अनुसार, ऐसी इकाई का परीक्षण किया जाता है

क्षमता अपनी निर्धारित क्षमता के 92 प्रतिशत से कम है, जैसा कि प्रभावी तिथि पर मौजूद है, और इस तरह की परीक्षण क्षमता उसके बाद तीन (3) महीनों की अवधि के लिए भी 92 प्रतिशत से कम रहती है।

और विक्रेता बिजलीघर की इकाई (इकाइयों) की परीक्षित क्षमता से वितरण बिंदु पर पूरी संविदित क्षमता उपलब्ध कराने में भी असमर्थ है; या

संविदित क्षमता की वाणिज्यिक संचालन तिथि के बाद, विक्रेता औसत उपलब्धता प्राप्त करने में विफल रहता है।

लगातार बारह (12) महीनों की अवधि के लिए या गैर-लगातार अवधि के भीतर पैंसठ प्रतिशत (65 प्रतिशत)

छत्तीस (36) महीनों की किसी भी निरंतर कुल अवधि के भीतर बारह (12) महीनों का, या

विक्रेता (क) इस समझौते के तहत खरीदार को एक करोड़ रुपये से अधिक की राशि का कोई भुगतान करने में विफल रहता है, जो खरीदार द्वारा विक्रेता पर निर्विवाद चालान/मांग की नियत तारीख के बाद तीन (3) महीनों के भीतर या (ख) इस समझौते के तहत खरीदार को छह (6) के भीतर एक करोड़ रुपये तक की राशि का भुगतान करने में विफल रहता है।

निर्विवाद चालान/मांग की नियत तिथि के महीनों बाद, या

इस समझौते की अनुसूची 10 में विक्रेता द्वारा किए गए अभ्यावेदन और वारंटी में से कोई भी; असत्य या गलत पाया जा रहा है। इसके अलावा, उपरोक्त के अलावा, विक्रेता द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी भी उपक्रम

न्यूनतम इक्विटी दायित्व; बशर्ते कि इस उप-अनुच्छेद के तहत निर्दिष्ट किसी भी घटना पर विचार करने से पहले चूक की घटना होने के लिए, खरीददार विक्रेता को कम से कम तीस (30) दिनों की लिखित सूचना देगा,

ई. एम. ई. न्यायालय की रिपोर्ट

यदि विक्रेताः

क) अपनी किसी भी संपत्ति को निर्दिष्ट करता है या सौंपने का इरादा रखता है या

इस समझौते के उल्लंघन में अधिकार; या

बी) इस समझौते के तहत अपने किसी भी अधिकार और/या दायित्वों को स्थानांतरित या नया करता है, इसका उल्लंघन करते हुए

समझौता; या

यदि (क) विक्रेता स्वेच्छा से या अनैच्छिक रूप से किसी दिवालियापन या दिवालियापन या समापन कार्यवाही का विषय बन जाता है और ऐसी कार्यवाही तीस (30) दिनों की अवधि के लिए निर्विरोध रहती है, या (ख) इसके खिलाफ कोई समापन या दिवालियापन या दिवालियापन आदेश पारित किया जाता है।

विक्रेता, या (ग) विक्रेता परिसमापन या विघटन में चला जाता है या उसके ऊपर एक प्राप्तकर्ता या कोई समान अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

उसकी सभी या पर्याप्त रूप से सभी परिसंपत्तियों या आधिकारिक परिसमापक को कानून के अनुसार अपने मामलों के प्रबंधन के लिए नियुक्त किया जाता है, सिवाय इसके कि विक्रेता का ऐसा विघटन या परिसमापन विलय, समेकन या पुनर्गठन के उद्देश्य से है और जहां परिणामी इकाई के पास इस समझौते के तहत अपने दायित्वों का पालन करने के लिए वित्तीय स्थिति है और विक्रेता के समान साख है और स्पष्ट रूप से इसके तहत विक्रेता के सभी दायित्वों को मानता है।

समझौता और उन्हें निष्पादित करने की स्थिति में है; या

विक्रेता इस समझौते को अस्वीकार करता है और इस संबंध में खरीदार से नोटिस के तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर भी इस तरह के उल्लंघन को ठीक नहीं करता है; या

इसके अलावा जहां खरीदार अपने भौतिक दायित्वों का पालन करने में विफल रहता है, विक्रेता इस समझौते के अनुसार अपने किसी भी भौतिक दायित्व का उल्लंघन करता है या किसी भी आर. एफ. पी. दस्तावेज़ का जहां खरीदार और विक्रेता पक्ष हैं, और इस तरह के सामग्री उल्लंघन को विक्रेता द्वारा प्राप्ति के तीस (30) दिनों के भीतर ठीक नहीं किया जाता है।

इस संबंध में खरीदार द्वारा विक्रेता को दी गई पहली सूचना;

विक्रेता अनुच्छेद 3.1 में निर्दिष्ट गतिविधियों/शर्तों को पूरा करने/पूरा करने में विफल रहता है। 2 , अनुच्छेद 3.1 में निर्दिष्ट अवधि से 8 महीने की अवधि से परे।

2 और सही एएनआई पावर (मुद्रा) लिमिटेड। वी. गुजरातवाई नियामक आयोग [बी. आर. गवई, जे.]

अनुच्छेद 3.4 के तहत समाप्ति। 2 के द्वारा आह्वान किया जाता है

खरीददार; या

बोली आर. एफ. पी. की शर्तों के उल्लंघन में विक्रेता की हिस्सेदारी में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिवर्तन

दस्तावेज़; या

विक्रेता अनुच्छेद 3.4 के अनुसार खरीददार को अतिरिक्त बैंक गारंटी प्रदान करने में विफल रहता है। 1 इस समझौते का, या

इस समझौते में निर्दिष्ट किसी भी अन्य घटना की घटना विक्रेता का भौतिक उल्लंघन/चूक है। पूर्वनिर्धारित खरीदकर्ता घटना

निम्नलिखित में से किसी की निरंतरता और निरंतरता जब तक कि ऐसी कोई घटना किसी बल के परिणामस्वरूप न हो।

,

घटना या विक्रेता द्वारा ग्रीमेंट के तहत अपने दायित्वों का उल्लंघन, चूक की घटना का गठन करेगा

खरीदारः

खरीदार नियत तिथि के बाद नब्बे (90) दिनों की अवधि के लिए सबसे हाल के निर्विवाद मासिक बिल के 15 प्रतिशत से अधिक राशि का भुगतान करने में विफल रहता है और विक्रेता

संपार्श्विक व्यवस्था और ऋण पत्र के माध्यम से विक्रेता को बकाया राशि की वसूली करने में असमर्थ;

या

खरीदार इस समझौते को अस्वीकार करता है और इस संबंध में विक्रेता से नोटिस के तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर भी इस तरह के उल्लंघन को ठीक नहीं करता है; या

इसके अलावा जहां किसी भी विक्रेता द्वारा अपने दायित्वों का पालन करने में विफलता के कारण, खरीदार इस समझौते या किसी भी आर. एफ. पी. दस्तावेज़ के अनुसार अपने किसी भी दायित्व का भौतिक उल्लंघन कर रहा है, जहां खरीदार और विक्रेता पक्षकार हैं, और इस तरह के सामग्री उल्लंघन को खरीदार द्वारा विक्रेता से इस संबंध में नोटिस प्राप्त होने के तीस (30) दिनों के भीतर ठीक नहीं किया जाता है।

इस समझौते की अनुसूची 9 में किसी भी खरीदार द्वारा किया गया कोई भी प्रतिनिधित्व और वारंटी पाई जा रही है।

असत्य या गलत होना। बशर्ते कि इस उप-लेख के तहत निर्दिष्ट किसी भी घटना पर विचार करने से पहले चूक की घटना होने के लिए, विक्रेता संबंधित खरीददार को कम से कम तीस की लिखित सूचना देगा।

(30) दिन; या

यदि (क) खरीददार स्वेच्छा से या अनैच्छिक रूप से किसी दिवालियापन या दिवालियापन या परिसमापन का विषय बन जाता है।

कानून के अनुसार, सिवाय इसके कि जहां ऐसा विघटन या खरीददार का परिसमापन विलय, समेकन या पुनर्गठन के उद्देश्य से होता है और जहां परिणामी इकाई के पास अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए वित्तीय स्थिति होती है।

इस समझौते के तहत और खरीददार के समान साख है और स्पष्ट रूप से सभी दायित्वों को मानता है

इस समझौते के तहत खरीदार और एक स्थिति में है

उन्हें पूरा करने के लिए; या

किसी भी अन्य घटना की घटना जो इस समझौते में एक भौतिक उल्लंघन या डिफ़ॉल्ट के रूप में निर्दिष्ट है

खरीदार।

विक्रेता गलती की घटना के मामलों के लिए प्रक्रिया

4.3. 1 अनुच्छेद 14.1 के तहत चूक की किसी भी विक्रेता घटना की घटना और निरंतरता पर, खरीददार को विक्रेता को एक खरीददार प्रारंभिक चूक सूचना देने का अधिकार होगा, जो परिस्थितियों को उचित विस्तार से निर्दिष्ट करेगा।

इस तरह के नोटिस के मुद्दे को जन्म देना।

14.3. 2 प्रोक्योरर प्रीलिमिनरी डिफॉल्ट नोटिस के जारी होने के बाद, नब्बे पावर (मुद्रा) लिमिटेड की परामर्श अवधि।

(90) दिन या ऐसी लंबी अवधि लागू होगी जिस पर पार्टियां सहमत हों।

परामर्श अवधि के दौरान, पक्षकारों को -

इस समझौते में अन्यथा प्रदान की गई बचत करें,

परामर्श अवधि की समाप्ति के बाद सात (7) दिनों की अवधि के बाद और जब तक कि पार्टियां अन्यथा इसके विपरीत सहमत नहीं होतीं। या परामर्श अवधि को जन्म देने वाली चूक की विक्रेता घटना को ठीक किया गया होगा और,

क) यदि किसी पावर स्टेशन से अनुबंधित क्षमता ऐसे पावर स्टेशन की स्थापित क्षमता के 50 प्रतिशत से कम है, तो खरीददार इस समझौते को समाप्त कर सकता है। बशर्ते कि ऐसे विक्रेता पर मानक के आधार पर क्षमता शुल्क के लिए भुगतान करने का दायित्व होगा।

परामर्श अवधि की समाप्ति के आठवें दिन से तीन (3) वर्ष की अवधि के लिए खरीददार को उपलब्धता। बशर्ते कि तीन साल की अवधि के अंत में, यह समझौता स्वचालित रूप से समाप्त हो जाएगा और उसके बाद, विक्रेता के पास आगे कोई अधिकार नहीं होगा।

के प्रति क्षमता प्रभार दायित्व

खरीदार। बशर्ते कि खरीददार को इस तरह की समाप्ति पर प्रदान की गई ऐसी तीन साल की अवधि की समाप्ति से पहले भी इस समझौते को समाप्त करने का अधिकार होगा, विक्रेता की भविष्य की क्षमता शुल्क देयता

तुरंत बंद कर दें।

ख) यदि किसी विद्युत केंद्र से संविदित क्षमता ऐसे विद्युत केंद्र की स्थापित क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक या उसके बराबर है, तो ऋणदाता इसका उपयोग कर सकते हैं या खरीददार ऋणदाताओं से अपनी क्षमता का उपयोग करने के लिए कह सकते हैं।

वित्तपोषण समझौतों के तहत उन्हें प्रदान किए गए प्रतिस्थापन अधिकार और अन्य अधिकार, यदि कोई हों, और खरीददार को [2019] 8 एस. सी. आर. पर कोई आपत्ति नहीं होगी।

ऋणदाता अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं यदि यह अनुसूची 14 के प्रावधानों के अनुरूप है। वैकल्पिक रूप से, यदि ऋणदाता ऐसा नहीं करते हैं

ऊपर उल्लिखित अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए, विक्रेता का क्षमता शुल्क

विक्रेता की चूक की अवधि के लिए 20 प्रतिशत की कमी की जाएगी और खरीददार इस समझौते और अनुच्छेद 14.3 के प्रावधानों को समाप्त कर सकता है। 4 (ए) उत्परिवर्तन लागू करेगा

उत्परिवर्तन।

पूर्वनिर्धारित प्रोक्योरर घटनाओं के लिए समाप्ति

14.4. 1 किसी की घटना और निरंतरता पर

अनुच्छेद 14.2 (i) के अनुसार चूक की घटना, विक्रेता प्रदान किए गए उपचारों का पालन करेगा।

अनुच्छेद 11.5 के तहत। 2 .

14.4. 2 किसी भी तरह से अधिकारों को प्रभावित किए बिना

अनुच्छेद 14.4 के तहत विक्रेता। 1 , की घटना पर

अनुच्छेद 14.2 में निर्दिष्ट चूक की कोई भी प्रोक्योरर घटना विक्रेता को प्रोक्योरर को एक विक्रेता प्रारंभिक चूक सूचना देने का अधिकार होगा, जो सूचना उचित विस्तार से निर्दिष्ट करेगी

परिस्थितियाँ इसकी समस्या को जन्म देती हैं।

14.4. 3 विक्रेता के मुद्दे के बाद प्रारंभिक चूक

ध्यान दें कि नब्बे (90) दिनों की परामर्श अवधि या ऐसी लंबी अवधि, जिस पर दोनों पक्ष सहमत हों, लागू होगी।

14.4. 4 परामर्श अवधि के दौरान, पक्षकारों को

अपने-अपने दायित्वों का पालन करना जारी रखें इस समझौते के तहत।

14.4. 5 . (i) परामर्श अवधि की समाप्ति के बाद सात (7) दिनों की अवधि के बाद और जब तक कि पार्टियां अन्यथा इसके विपरीत या चूक की खरीदकर्ता घटना को जन्म देने के लिए सहमत नहीं होतीं

परामर्श अवधि में सुधार किया जाएगा, विक्रेता संविदित क्षमता और संबंधित उपलब्ध क्षमता को किसी भी पावर (मुद्रा) लिमिटेड को बेचने के लिए स्वतंत्र होगा।

वी. गुजरात दोषी आयोग [बी. आर. गवई, जे.]

उसकी पसंद का तीसरा पक्ष। बशर्ते कि खरीददार के लिए भुगतान करने का दायित्व होगा

परामर्श अवधि की समाप्ति के आठवें दिन से तीन (3) वर्ष की अवधि के लिए विक्रेता को मानक उपलब्धता के आधार पर क्षमता शुल्क। बशर्ते कि ऐसी तीन साल की अवधि में, यदि विक्रेता डिलीवरी पॉइंट पर किसी तीसरे पक्ष को शुद्ध मूल्य पर बिजली बेचने में सक्षम है जो ऊर्जा शुल्क से अधिक है, तो इस तरह की अतिरिक्त प्राप्ति से खरीदार से देय क्षमता शुल्क भुगतान में कमी आएगी।

संदेह से बचने के लिए, उपरोक्त अतिरिक्त समायोजन तीन साल की अवधि के लिए संचयी आधार पर लागू किया जाएगा। ऐसी अवधि के दौरान, विक्रेता संविदित क्षमता और संबंधित उपलब्ध क्षमता को बेचने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयास का उपयोग करेगा।

ऐसे समय की परिस्थितियों और ऐसे समय में बाजार में बिजली के मूल्य निर्धारण को ध्यान में रखते हुए, ऐसे समय में बाजार में उपलब्ध सबसे उचित शर्तों पर ऐसे तीसरे पक्ष को उत्पन्न या उत्पन्न करने में सक्षम होना। बशर्ते कि विक्रेता यह सुनिश्चित करेगा कि विक्रेता के शेयरधारकों को बिजली की बिक्री या कोई प्रत्यक्ष या विक्रेता/विक्रेता के शेयरधारकों के अप्रत्यक्ष सहयोगी, खरीददार की पूर्व लिखित सहमति प्राप्त किए बिना, शुल्क से कम कीमत पर नहीं हैं। सहमति के लिए इस तरह के अनुरोध का जवाब अधिकतम तीन (3) दिनों की अवधि के भीतर दिया जाएगा, जिसमें विफल रहने पर यह माना जाएगा कि खरीददार ने अपनी सहमति दे दी है। बशर्ते कि तीन साल की अवधि के अंत में, यह समझौता अपने आप समाप्त हो जाएगा और उसके बाद,

ऐसी समाप्ति पर प्रदान की गई ऐसी तीन साल की अवधि की समाप्ति से पहले भी समझौता, खरीददार की भविष्य की क्षमता शुल्क देयता तुरंत समाप्त हो जाएगी। "[2019] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

15. इससे पहले कि हम प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ें, व्याख्या पर इस न्यायालय के कुछ निर्णयों का उल्लेख करना उचित होगा।

पक्षों के बीच अनुबंध का उपयोग।

16. राजस्थान राज्य औद्योगिक के मामले में यह न्यायालय

एल. ओ. पी. एम. टी. और निवेश निगम और ए. एन. आर. बनाम डायमंड एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और अन्र। (2013) 5 एस. सी. सी. में रिपोर्ट किया गया

bserved इस प्रकार हैः

" 23. एक पक्ष जो कवर किया गया है उससे अधिक कुछ भी दावा नहीं कर सकता है।

अनुबंध की शर्तों के अनुसार, क्योंकि अनुबंध एक है

दोनों पक्षों के बीच लेन-देन खुले विचारों और अनुबंध की प्रकृति को समझने के साथ किया गया है। इस प्रकार, अनुबंध दो या दो से अधिक पक्षों के बीच एक समझौते का एक प्राणी होने के नाते, शाब्दिक अर्थ देते हुए व्याख्या की जानी चाहिए, जब तक कि उसमें कुछ अस्पष्टता न हो। अनुबंध की व्याख्या अनुबंध में निहित शब्दों को वास्तविक अर्थ देते हुए की जानी चाहिए और अदालत के लिए एक नया अनुबंध करने की अनुमति नहीं है, चाहे वह कितना भी उचित क्यों न हो, यदि पक्षों ने इसे स्वयं नहीं किया है। इसकी व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए कि इसकी शर्तों में बदलाव न हो। अनुबंध की व्याख्या बिना किसी बाहरी सहायता के की जानी चाहिए। अनुबंध की शर्तों को अनुबंध की प्रकृति में बदलाव किए बिना सख्ती से समझा जाना चाहिए, क्योंकि यह दोनों में से किसी एक के हित को प्रभावित कर सकता है। पक्ष प्रतिकूल हैं। [यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम

हरचंद राय चंदन लाल, (2004) 8 एस. सी. सी. 644, और पॉलीमेट इंडिया (पी) लिमिटेड बनाम। राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड (2005) 9 एस. सी. सी.

174.]

24. डी. एल. एफ. यूनिवर्सल लिमिटेड बनाम नगर और देश की योजना विभाग. , (2010) 14 एस. सी. सी. 1, इस न्यायालय ने निर्णय दियाः (एससीसी पीपी। 14-15 , पैरा

13-15)

" 13. यह कानून में एक स्थापित सिद्धांत है कि एक अनुबंध की व्याख्या उसके उद्देश्य के अनुसार की जाती है। एक अनुबंध का उद्देश्य हित, उद्देश्य, मूल्य, नीति है जिसे अनुबंध को वास्तविक बनाने के लिए बनाया गया है। इसमें दलों का संयुक्त इरादा शामिल है। ऐसा प्रत्येक अनुबंध संविदात्मक पक्षों की निजी इच्छा की स्वायत्तता को व्यक्त करता है। यह पक्षों के बीच उचित, कानूनी रूप से संरक्षित अपेक्षाओं और इसके परिणामों पर निर्भरता पैदा करता है। उद्देश्यपूर्ण व्याख्या के चरित्र के अनुरूप, अदालत को मुख्य रूप से मेसर्स अदानी पावर (मुद्रा) लिमिटेड द्वारा एक अनुबंध के अंतिम उद्देश्य को निर्धारित करने की आवश्यकता होती है।

वी. गुजरात नियामक आयोग [बी. आर. गवई, जे.]

इस प्रकार बनाए गए अनुबंध के समय पक्षों का संयुक्त इरादा। यह किसी एक पक्ष का इरादा नहीं है; यह दोनों पक्षों का संयुक्त इरादा है और पक्षों का संयुक्त इरादा अनुबंध की संपूर्णता से पता लगाया जाना है और

इसके गठन के आसपास की परिस्थितियाँ।

14. जैसा कि एनसन के अनुबंध के कानून में कहा गया हैः

' अनुबंध के सामान्य कानून का एक बुनियादी सिद्धांत यह है कि

एक उचित, सामाजिक, आदर्श के रूप में केवल इस हद तक कि अनुबंध करने वाले पक्षों के बीच सौदेबाजी की शक्ति की समानता हो सकती है। मान लिया जाए और इसके हितों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाए

बड़े पैमाने पर समुदाय। '

15. न्यायालय मानता हैः

' कि अनुबंध के पक्षकार उचित व्यक्ति हैं जो उचित परिणाम, निष्पक्षता और दक्षता प्राप्त करना चाहते हैं।

पक्षों के संयुक्त इरादे और उचित व्यक्ति के इरादे के बीच एक अनुबंध में, संयुक्त इरादे से आगे निकलते हैं, और न्यायाधीश को तदनुसार अनुबंध की व्याख्या करनी चाहिए।

17. यह न्यायालय भारत एल्यूमीनियम कंपनी बनाम भारत एल

(2016) 4 एस. सी. सी. में रिपोर्ट की गई एल्यूमीनियम तकनीकी सेवा आई. एन. सी.

bserved इस प्रकार हैः

" 10. व्याख्या के मामले में, अदालत को व्याख्या के लिए आने वाले साधन के आधार पर अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाना पड़ता है। विधायी प्रारूपण विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है और किसी अधिनियम, नियम या विनियमन को अंतिम रूप देने से पहले विभिन्न चरणों में इसकी जांच की जाती है। कानूनविदों द्वारा मसौदा तैयार करने की एक और श्रेणी है या दस्तावेज़ लेखक जो पेशेवर रूप से योग्य और अनुभवी हैं

दस्तावेज़ की गुणवत्ता या पूर्णता तुलनात्मक रूप से कम है तीसरी श्रेणी, दूसरे में उच्च और पहले में उच्चतर। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पहली श्रेणी में व्याख्या की प्रक्रिया में, अदालतें कानून के उद्देश्य, उसके संदर्भ और पाठ को इकट्ठा करने का प्रयास करती हैं। दूसरी श्रेणी में भी, पाठ के साथ-साथ उद्देश्य [2019] 8 एस. सी. आर.

यह निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, और वसीयत जैसे दस्तावेजों की तीसरी श्रेणी में, यह केवल निष्पादक का इरादा है जो प्रासंगिक है। हमारे समक्ष मामले में, दोनों पक्षों के बीच निष्पादित एक अनुबंध होने के नाते, अदालत एक मूर्ति की व्याख्या के लिए एक दृष्टिकोण नहीं अपना सकती है। अनुबंध की शर्तों को उस तरह से समझना होगा जिस तरह से पक्ष चाहते थे और उनका इरादा था। उस संदर्भ में, विशेष रूप से मध्यस्थता के समझौतों में, जहां पक्ष की स्वायत्तता जमीनी मानदंड है, पार्टियों ने समझौते को कैसे तैयार किया, अभिव्यक्तियों के सादे या व्याकरणिक अर्थ और उपयोग के अलावा इरादे को समझने के लिए संकेतकों में से एक है।

समझौते में उचित स्थानों पर अभिव्यक्तियाँ।

18. हाल ही में, इस न्यायालय को पी. पी. ए. के कुछ खंडों की व्याख्या के संबंध में इस मुद्दे पर विचार करने का अवसर मिला था।

नाभा पावर लिमिटेड (एन. पी. एल.) बनाम पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पी. एस. पी. सी. एल.) और ए. एन. आर. 2018 (11) एस. सी. सी. 508 में रिपोर्ट किया गया। न्यायालय ने विभिन्न अंग्रेजी और ऑस्ट्रेलियाई निर्णयों के साथ-साथ इस मुद्दे पर इस न्यायालय के निर्णयों का उल्लेख किया। हम उक्त निर्णय में पुनः प्रस्तुत किए गए सभी अंग्रेजी और ऑस्ट्रेलियाई निर्णयों के साथ इस निर्णय को बोझ नहीं बनाना चाहते हैं। तथापि, निम्नलिखित परिच्छेद का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा -

बेलीज बनाम बेलीज टेलीकॉम लिमिटेड, (2009) 1 डब्ल्यू. एल. आर. 1988 (पी. सी.) के महान्यायवादी के मामले में प्रिवी काउंसिल का निर्णयः नाभा पावर लिमिटेड में पुनः प्रस्तुत।

" 17. निहितार्थ का सवाल तब उत्पन्न होता है जब उपकरण स्पष्ट रूप से यह प्रदान नहीं करता है कि जब कोई घटना होती है तो क्या होता है

होता है। ऐसे मामले में सबसे सामान्य निष्कर्ष यह है कि कुछ भी नहीं होना है। यदि पक्षों का इरादा कुछ होने का होता, तो दस्तावेज़ ने ऐसा कहा होता। अन्यथा, स्पष्ट प्रावधान

उपकरण को बिना किसी बाधा के काम करना जारी रखना है। यदि घटना से एक या दूसरे पक्ष को नुकसान हुआ है, तो नुकसान होता है।

यह कहाँ गिरता है।

19. हम लाभप्रद रूप से कुछ निर्णयों को भी पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं जो नाभा पावर लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में पुनः प्रस्तुत किए गए हैं।

“ 46. एक बार फिर, विभिन्न उच्च न्यायालयों में इस अवधि के दौरान भारत में समानांतर विकास हुए थे, लेकिन इस न्यायालय के विचार धनराजमल गोबिंदराम बनाम में अभिव्यक्त किए जा सकते हैं। शामजी कालिदास एंड कंपनी, (1961) 3 एस. सी. आर. 1020: आकाशवाणी 1961 एससी 1285

(एयर पीपी। 1291 – 92 , पैरा 19)

मेसर्स अदानी पावर (मुद्रा) लिमिटेड। वी. गुजरात नियामक आयोग [बी. आर. गवई, जे.]

" 19. ..... वाणिज्यिक दस्तावेजों को कभी-कभी ऐसी भाषा में व्यक्त किया जाता है जिसका स्पष्ट अर्थ नहीं होता है। अदालतों का प्रयास यदि संभव हो तो एक अर्थ देना है। यह हिलास एंड कंपनी बनाम में हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा निर्धारित किया गया था। आर्कोस

लिमिटेड (1932 ऑल ई. आर. रेप 494 (एच. एल.)), और लॉर्ड राइट की टिप्पणियां क्लासिक हो गई हैं, और तब से न्यायिक समिति और हाउस ऑफ लॉर्ड्स दोनों द्वारा अनुमोदन के साथ उद्धृत की गई हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स का नवीनतम मामला एडमास्टोस शिपिंग कंपनी लिमिटेड बनाम है। एंग्लो-सैक्सन पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड। {1959 एसी 133: (1958) 2 डब्ल्यूएलआर 688 (एचएल)}। वहाँ, खंड था "यह लदान का बिल", जबकि जिस दस्तावेज़ को उसने संदर्भित किया था वह एक चार्टर-पार्टी था। विस्काउंट साइमंड्स का सारांश एसी पी में दिया गया है। 158 वाणिज्यिक निर्माण के लिए लागू सभी नियम

दस्तावेज़, और यह निर्धारित किया गया है कि वाणिज्यिक समझौतों को व्यापक रूप से समझने के लिए हमेशा प्रयास किया जाना चाहिए और किसी को उनमें दोष खोजने या उन्हें अस्वीकार करने के लिए चतुर नहीं होना चाहिए।

अर्थहीन "।

47. भारत संघ में v. डी. एन. रेवरी एंड कंपनी { (1976) 4 एस. सी. सी. 147}, पी. एन. भगवती, जे. (जैसा कि वे उस समय थे) ने दो न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए पैरा 7 में कहाः (एस. सी. सी पी. 151)

इसे अमान्य करने के लिए। दो सामान्य पक्षों के बीच किए गए अनुबंध की व्याख्या करते समय, निर्माण के सख्त नियमों को लागू करना सही नहीं होगा जो आम तौर पर एक वाहन और अन्य औपचारिक दस्तावेजों पर लागू होते हैं। इस तरह के अनुबंध का अर्थ एक सामान्य ज्ञान दृष्टिकोण अपनाकर एकत्र किया जाना चाहिए और इसे एक संकीर्ण, पांडित्यपूर्ण द्वारा विफल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। और कानूनी व्याख्या "।

48. अंत में, सत्य जैन बनाम। अनीस अहमद रुश्दी ((2013) 8 एस. सी. सी. 131), रंजन गोगोई, जे., ने परिणाम प्राप्त करने के लिए व्यावसायिक प्रभावकारिता के उत्कृष्ट परीक्षण के सुस्थापित सिद्धांतों को स्पष्ट किया।

व्यापारी। इसकी राय इस प्रकार दी गई थीः (एससीसी पीपी। 143-44 , पैरा 33 35)

" 33. व्यावसायिक प्रभावकारिता के सिद्धांत को आम तौर पर एक समझौते या अनुबंध में एक शब्द को पढ़ने के लिए लागू किया जाता है ताकि [2019] 8 एस. सी. आर. को प्राप्त किया जा सके।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

के रूप में कार्य करने वाले पक्षों द्वारा इच्छित परिणाम या परिणाम

बुद्धिमान व्यवसायी। व्यावसायिक प्रभावकारिता का अर्थ है शक्ति

इच्छित परिणाम प्राप्त करें। व्यावसायिक प्रभावकारिता का उत्कृष्ट परीक्षण बोवेन, एल. जे. द्वारा द मूरकॉक में प्रस्तावित किया गया था (1889) एल. आर. 14 पी. डी. 64 (सी. ए.)। इस परीक्षण के लिए आवश्यक है कि एक शब्द केवल तभी निहित किया जा सकता है जब अनुबंध को व्यावसायिक प्रभावकारिता देना आवश्यक हो ताकि विचार की ऐसी विफलता से बचा जा सके जो पक्षकार उचित व्यवसायियों के इरादे से नहीं कर सकते हैं। लेकिन केवल सबसे अधिक

सीमित अवधि तब निहित होनी चाहिए-न्यूनतम से

इस लक्ष्य को प्राप्त करें। यदि अनुबंध अवधि के बिना व्यावसायिक समझ में आता है, तो अदालतें उसी का संकेत नहीं देंगी। निम्नलिखित

द मूरकॉक में बोवेन, एल. जे. की राय से अंश

{ (1889) एल. आर. 14 पी. डी. 64 (सी. ए.)} स्थिति का सारांश देता हैः (पीडी पी। 68)

‘ ..... इस तरह के व्यावसायिक लेन-देन में, कानून जो निहितार्थ से प्रभावी होना चाहता है, वह लेनदेन को ऐसी व्यावसायिक प्रभावशीलता देना है जो दोनों पक्षों द्वारा सभी घटनाओं में इरादा किया गया होना चाहिए जो व्यवसायी हैं; लागू करने के लिए नहीं। एक तरफ लेन-देन के सभी खतरे, या एक पक्ष को विफलता की सभी संभावनाओं से मुक्त करने के लिए, लेकिन प्रत्येक पक्ष को कानून में उतना ही वादा करने के लिए, जितना कि दोनों पक्षों के विचार में होना चाहिए कि उन्हें उन खतरों या अवसरों के संबंध में जिम्मेदार होना चाहिए।

34. हालांकि एक पूरी तरह से अलग संदर्भ में, यह न्यायालय यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम. मनुभाई धर्मसिंहभाई

गजेरा {(2008) 10 एस. सी. सी. 404} ने परिस्थितियों पर विचार किया था।

जब किसी समझौते में एक अप्रकाशित शब्द को पढ़ा जाता है तो इस आधार पर उचित होगा कि इस तरह का शब्द हमेशा और स्पष्ट रूप से पक्षों द्वारा और उनके बीच अभिप्रेत था। कुछ विदेशी क्षेत्राधिकारों में न्यायालयों द्वारा व्यक्त इस संबंध में कुछ टिप्पणियों को इस न्यायालय द्वारा रिपोर्ट के पैरा 51 में देखा गया था। चूंकि यह वर्तमान मामले में लागू हो सकता है, इसलिए उक्त टिप्पणियों पर ध्यान देना उपयोगी होगाः (एस. सी. सी पी. 434)

'51 . ..... " ..... " प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि किसी भी अनुबंध में जो निहित होने के लिए छोड़ दिया गया है और जिसे व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है

कि यह बिना कहे चला जाता है; ताकि, जब पक्षकार अपनी सौदेबाजी कर रहे थे, एक आधिकारिक दर्शक, अपने समझौते में इसके लिए कुछ स्पष्ट प्रावधान का सुझाव दे, तो वे उसे एक सामान्य "ओह, निश्चित रूप से!

शिलॉ मेसर्स अदानी पावर (मुद्रा) लिमिटेड। वी. गुजरात नियामक आयोग [बी. आर. गवई, जे.]

वी. सदर्न फाउंडरीज (1926) लिमिटेड {(1939) 2 KB 206: (1939) 2 सभी ईआर 113 (सीए)}, के. बी. पी. 227. "

*

*

*

*

यह पता चलता है कि पार्टियों ने उस शब्द को हिस्सा बनाने का इरादा किया होगा उनके अनुबंध के बारे में: अदालत के लिए यह पता लगाना पर्याप्त नहीं है कि

एक शब्द पक्षों द्वारा उचित के रूप में अपनाया गया होगा

पुरुषों अगर यह उन्हें सुझाया गया था: यह एक शब्द होना चाहिए

जो बिना कहे चला गया, व्यवसाय देने के लिए एक आवश्यक शब्द

अनुबंध के लिए प्रभावकारिता, एक शब्द जो, हालांकि मौन, गठित हुआ

उस अनुबंध का हिस्सा जो पक्षों ने अपने लिए किया था।

(एचएल)}, डब्ल्यूएलआर पी। 609 सी-डी: सभी ई. आर. पी. 268 ए-बी। ' (में जोर देना मूल)

35. इसलिए, व्यावसायिक प्रभावकारिता परीक्षण केवल लागू किया जाना चाहिए।

ऐसे मामलों में जहां शब्द जिसे निहित के रूप में पढ़ने की मांग की जाती है जो पक्षकारों द्वारा स्पष्ट रूप से अभिप्रेत किया जा सकता था

समझौता करने का समय। ..... " पहले के फैसले के पैरास को पुनः प्रस्तुत करने के बाद, यह न्यायालय

घ. संजय किशन कौल, जे. ने इस प्रकार टिप्पणी की:

" 49. अब हम उपरोक्त सिद्धांतों को लागू करने के लिए आगे बढ़ते हैं जो

वाणिज्यिक अनुबंध की शर्तों की व्याख्या करने के लिए विकसित हुए हैं प्रश्न में। वाणिज्य में लिप्त दल एक वाणिज्यिक में कार्य करते हैं

भावना। यह जमीनी नियम है जो द मूरकॉक का आधार है।

{ (1889) एल. आर. 14 पी. डी. 64 (सी. ए.)} को "व्यावसायिक प्रभावकारिता" देने का परीक्षण

लेन-देन, जैसा कि दोनों द्वारा सभी घटनाओं में इरादा किया गया होना चाहिए व्यापारिक पार्टियाँ। कानून के विकास में "पाँच शर्तें" देखी गईं

अनुबंध में पढ़ने के लिए एक निहित शर्त के लिए "परीक्षण"

"व्यावसायिक प्रभावकारिता" परीक्षण। यह भी शामिल करने की मांग की " आधिकारिक दर्शक परीक्षण "[शिर्लाव बनाम। दक्षिणी फाउंड्रीज़

(1926) लिमिटेड {(1939) 2 KB 206: (1939) 2 सभी ईआर 113 (सीए)}]।

यह परीक्षण बी. पी. रिफाइनरी (वेस्टर्नपोर्ट) में किया गया है।

प्रोपराइटरी लिमिटेड v. शायरे ऑफ हेस्टिंग्स (1977 यूकेपीसी 13: (1977)

180 सी. एल. आर. 266 (ए. यू. एस.)} को आवश्यक शर्तों की आवश्यकता होती है संतुष्टः (1) उचित और न्यायसंगत; (2) देने के लिए आवश्यक

अनुबंध के लिए व्यावसायिक प्रभावकारिता; (3) यह बिना कहे चला जाता है अर्थात।

आधिकारिक दर्शक परीक्षण; (4) स्पष्ट अभिव्यक्ति में सक्षम; और (5) अनुबंध की किसी भी स्पष्ट अवधि का खंडन नहीं करना चाहिए। उन्हीं पेंटा-सिद्धांतों का संदर्भ निवेशकों में भी मिलता है।

क्षतिपूर्ति योजना लिमिटेड v. वेस्ट ब्रोमविच बिल्डिंग सोसाइटी

{ (1998) 1 डब्ल्यूएलआर 896: (1998) 1 सभी ई. आर. 98 (एच. एल.)} और बेलीज के महान्यायवादी बनाम। बेलीज टेलीकॉम लिमिटेड (2009) 1 डब्ल्यू. एल. आर. 1988 (पी. सी.)। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इन सिद्धांतों का अनुप्रयोग पक्षों द्वारा वाणिज्यिक शर्तों की अनुमानित समझ के बारे में इस न्यायालय के अपने दृष्टिकोण को प्रतिस्थापित करने के लिए नहीं होगा यदि शर्तें उनकी अभिव्यक्ति में स्पष्ट हैं। एक अनुबंध की स्पष्ट शर्तें हमेशा पक्षों के इरादे के संबंध में अंतिम शब्द होती हैं। इस प्रकार, बहु-खंड अनुबंध को पक्षों के बीच इस तरह से समझा और व्याख्या की जानी चाहिए कि अनुबंध के किसी विशेष खंड पर किसी भी दृष्टिकोण को अनुबंध के दूसरे हिस्से के लिए हिंसा नहीं करनी चाहिए।

20. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि समझौते के खंडों को स्पष्ट, शाब्दिक और

उसी में उपयोग की जाने वाली अभिव्यक्ति का व्याकरणिक अर्थ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अदालतें यह भी एकत्रित करने की कोशिश करेंगी कि पक्ष उन्हें क्या इरादा देना चाहते थे। जैसा कि न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ने अभिनिर्धारित किया है, व्यावसायिक प्रभावकारिता के सिद्धांत को केवल तभी लागू किया जा सकता है जब समझौते या अनुबंध में शब्द की एक स्पष्ट शाब्दिक व्याख्या से, विवेकपूर्ण व्यवसायियों के रूप में कार्य करने वाले पक्षों द्वारा इच्छित परिणाम या परिणाम प्राप्त करना संभव नहीं हो। इस परीक्षण के लिए आवश्यक है कि एक शब्द को केवल तभी निहित किया जा सकता है, जब अनुबंध को व्यावसायिक प्रभावकारिता देना आवश्यक हो, ताकि विचार की ऐसी विफलता से बचा जा सके कि पक्षकार ऐसा नहीं कर सकते।

समझदार व्यवसायियों ने इरादा किया है। यदि अनुबंध अवधि के बिना व्यावसायिक समझ में आता है, तो अदालतें उसी का संकेत नहीं देंगी। यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि अदालतें एक खंड का संकेत केवल तभी दे सकती हैं जब यह पाया जाता है कि शब्दों में उपयोग की गई अभिव्यक्ति को दिया गया सादा और शाब्दिक अर्थ पक्षों के इरादे को स्पष्ट करने की स्थिति में नहीं है। एक समझौते में एक अप्रकाशित शब्द को पढ़ना इस आधार पर उचित होगा कि इस तरह का शब्द हमेशा और स्पष्ट रूप से पक्षों द्वारा और उनके बीच अभिप्रेत था। एक अप्रकाशित शब्द तभी निहित किया जा सकता है जब अदालत को पता चले कि पक्षों ने उस शब्द को अपने अनुबंध का हिस्सा बनाने का इरादा किया होगा। अदालत के लिए यह पता लगाना पर्याप्त नहीं है कि इस तरह के शब्द को पक्षकारों द्वारा उचित व्यक्तियों के रूप में अपनाया गया होता अगर उन्हें इसका सुझाव दिया गया होता। यह एक ऐसा शब्द रहा होगा जो बिना कहे चला गया होगा, अनुबंध को व्यावसायिक प्रभावशीलता देने के लिए एक आवश्यक शब्द, एक शब्द जो मैसर्स अदानी पावर (मुद्रा) लिमिटेड है।

हालांकि मौन, अनुबंध का हिस्सा है। जैसा कि नाभा पावर लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में कहा गया है, व्यावसायिक प्रभावकारिता परीक्षण को लागू करने और एक निहित शर्त को बनाने के लिए, जो अनुबंध की भाषा में स्पष्ट रूप से नहीं पाई जाती है, निम्नलिखित पांच शर्तों को पूरा करना होगाः

(1) उचित और न्यायसंगत;
(2) अनुबंध को व्यावसायिक प्रभावशीलता देने के लिए आवश्यक;

(3) यह बिना कहे चला जाता है अर्थात आधिकारिक दर्शक परीक्षण;

(4) स्पष्ट अभिव्यक्ति में सक्षम; और

(5) अनुबंध की किसी भी स्पष्ट अवधि का खंडन नहीं करना चाहिए।
21. हमें वर्तमान मामले और शुद्धता की जांच करनी होगी या

अन्यथा अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा उपरोक्त परीक्षणों को लागू करके पारित निर्णय और आदेश।
22. हम इससे पहले पी. पी. ए. के अनुच्छेद 3 और 4 को पुनः प्रस्तुत कर चुके हैं। अनुच्छेद 3 विक्रेता और खरीदार द्वारा संतुष्ट किए जाने के बाद की शर्तों का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 3.1 का खंड (ii)। 2 विक्रेता के लिए आवश्यक है कि उसने एफ. एस. ए. निष्पादित किया हो और उसकी प्रतियां खरीदार को प्रदान की हों।

प्रभावी तिथि से 12 महीने के भीतर या आशय पत्र जारी करने की तारीख से 14 महीने के भीतर, जो भी बाद में हो, जब तक कि ऐसा पूरा होना पी. पी. ए. के तहत अपने दायित्वों का पालन करने में खरीदार की विफलता या किसी भी आकस्मिक घटना के कारण प्रभावित न हो। अनुच्छेद 3.4 में प्रावधान किया गया है -

अनुच्छेद 3.1 के तहत शर्तों को पूरा न करने के परिणाम;

अनुच्छेद 3.4 के खंड (i) और (ii)। 2 विशेष रूप से यह प्रावधान है कि यदि अनुच्छेद 3.1 में निर्दिष्ट किसी भी शर्त को पूरा किया जाता है। 2 3 महीने की अवधि से अधिक देरी हो रही है और विक्रेता कोई अतिरिक्त जानकारी देने में विफल रहता है।

अनुच्छेद 3.1 में निर्दिष्ट शर्तें। 2 उसमें निर्दिष्ट अवधि से आगे 8 महीने की अवधि के लिए, खरीदार या विक्रेता दोनों के पास होगा - दूसरे पक्ष को कम से कम 7 दिनों की लिखित सूचना देकर समझौते को समाप्त करने का अधिकार। एकमात्र आवश्यकता यह है कि खरीदार या विक्रेता द्वारा समाप्ति की स्थिति में, विक्रेता खरीदार को रुपये के बराबर राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। 10 परिसमापन क्षति के रूप में अनुबंधित क्षमता के प्रति मेगावाट लाख। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद 3.1 में दी गई किसी भी आवश्यकता का पालन न करने की स्थिति में। 2 उक्त अनुच्छेद में निर्दिष्ट अवधि के भीतर, विक्रेता या खरीदार दोनों के पास पी. पी. ए. को समाप्त करने का विकल्प उपलब्ध है।

आवश्यकता यह है कि, किसी भी स्थिति में, विक्रेता पर रुपये की दर से परिसमापन नुकसान का भुगतान करने का दायित्व होगा। 10

प्रति मेगावाट।

23. अपीलीय न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया है कि केवल उस स्थिति में जब पक्षकारों के बीच अनुच्छेद 3.1 में निर्दिष्ट शर्तों में से कोई भी शर्त है। 2 अनुच्छेद 3.4 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाता है। 2 आह्वान किया जा सकता है।24. अपीलीय न्यायाधिकरण में की गई कुछ टिप्पणियों को उद्धृत करना प्रासंगिक होगा जो इस प्रकार हैं:

89. ((iii) अनुच्छेद 3.4। 2 एक ऐसी स्थिति प्रदान करता है जिसके तहत बिजली खरीद समझौते को या तो खरीदार द्वारा या विक्रेता द्वारा केवल तभी समाप्त किया जा सकता है जब अनुच्छेद 3.4 में प्रदान की गई घटनाएँ हों। 2 ((i) और (ii) उत्पन्न होते हैं या होते हैं। यद्यपि अनुच्छेद 3.4। 2 ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों पक्षों को ऐसा होने पर पी. पी. ए. को समाप्त करने का अधिकार है अनुच्छेद 3.4 में विनिर्दिष्ट ऐसी घटनाएं। 2 (i) और (ii), इसे पी. पी. ए. के अन्य अनुच्छेदों के साथ पढ़ा और व्याख्या की जानी चाहिए। अनुच्छेद 3.4। 2 इसके अलावा यह प्रावधान है कि यदि खरीदार या विक्रेता इसे समाप्त करने का चुनाव करता है तो विक्रेता खरीददार को प्रति मेगावाट परिसमापन क्षति के रूप में Rs.10 लाख की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

के पूर्व भाग में निर्दिष्ट घटनाओं के घटित होने पर समझौता

अनुच्छेद 3.4। 2 . उक्त अनुच्छेद 3.4 के पठन से। 2 , यह स्पष्ट है कि कोई भी पक्ष पीपीए को समाप्त कर सकता है, यदि घटनाएँ

अनुच्छेद 3.4 में विनिर्दिष्ट। 2 (i) और (ii) घटित होते हैं और किसी भी पक्ष द्वारा इस तरह की समाप्ति के मामले में, अकेले विक्रेता को परिसमापन क्षति का भुगतान करने का दायित्व है।

..... 89 (vi)। यदि विक्रेता अनुच्छेद 3.1 में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने में विफल रहता है। 2 , अनुच्छेद 3.4 के तहत समाप्त करने का अधिकार। 2 प्रोक्योरर द्वारा इनवोक किया जाता है। इसी तरह, अनुच्छेद 3.4 के तहत पी. पी. ए. को समाप्त करने की किसी भी पक्ष की क्षमता। 2 यह तभी उत्पन्न होगा जब दोनों पक्ष मेसर्स अदानी पावर (मुद्रा) लिमिटेड को स्वीकार करेंगे।

अनुच्छेद 3.4 के तहत निर्दिष्ट घटनाओं का घटित होना। 2 ((i) और (ii)। दूसरे शब्दों में, विक्रेता द्वारा अनुच्छेद 3.4 के तहत समाप्ति। 2 यह तब संभव है जब दोनों पक्ष उसमें विचार की गई घटनाओं के घटित होने पर सहमत हों और यदि समाप्ति की घटना के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो विक्रेता परिसमापन किए गए नुकसान का भुगतान करने को तैयार हो।

25. अपीलीय न्यायाधिकरण की उपरोक्त टिप्पणियाँ, हमारे

देखें, एक पूरी तरह से गलत दृष्टिकोण को चित्रित करें। अनुच्छेद 3.4 का एक सामंजस्यपूर्ण पठन। 2 और अनुच्छेद 3.1। 2 स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि अनुच्छेद 3.1 में निर्धारित किसी भी शर्त का पालन न करने की स्थिति में। 2 इस अवधि में

इसके तहत निर्धारित, किसी भी पक्ष, यानी विक्रेता या खरीददार को अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार है। हालाँकि, किसी भी घटना में, यह विक्रेता का दायित्व है कि वह रुपये की दर से परिसमापन नुकसान का भुगतान करे। 10 लाख प्रति मेगावाट। 26. हमारा विचार है कि अपीलीय न्यायाधिकरण का निष्कर्ष कि अनुच्छेद 3.4 के तहत प्रावधान हैं। 2 पी. पी. ए. को लागू किया जा सकता है

अनुच्छेद 3.4 के प्रावधान। 2 पी. पी. ए. से। इसे एक ऐसी शर्त नहीं कहा जा सकता है जो या तो उचित या न्यायसंगत हो; इसे एक ऐसी शर्त भी नहीं कहा जा सकता है जो व्यवसाय को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हो। अनुबंध; इसे एक ऐसा परीक्षण भी नहीं कहा जा सकता है जो आधिकारिक दर्शक परीक्षण को उचित ठहराता है; इसे एक ऐसी शर्त भी नहीं कहा जा सकता है जो स्पष्ट अभिव्यक्ति में सक्षम हो; यह एक ऐसी शर्त भी नहीं है जो अनुबंध की किसी भी व्यक्त शर्तों का खंडन नहीं करती है। इसके विपरीत, यह एक ऐसी शर्त है जो अनुच्छेद 3.4 के कार्यकाल को पूरी तरह से बदल देगी। 2 पी. पी. ए. से। इसलिए, हमारा विचार है कि अपीलीय न्यायाधिकरण ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने में घोर गलती की है कि अनुच्छेद 3.4। 2 पी. पी. ए. का उपयोग केवल उस स्थिति में किया जा सकता है जब इस संबंध में कोई समझौता हो।

अनुच्छेद 3.1 में किसी भी शर्त का उल्लंघन करना। 2 .

27. न्यायाधिकरण ने अपने निष्कर्ष पर पहुँचते हुए यह समझौता किया है

इसे समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए और यदि इसे संपूर्ण के रूप में पढ़ा जाता है और यदि अनुच्छेद 3.4। 2 और 3.1। 2 और अनुच्छेद 14 को सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ा जाता है, तो केवल एक ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अनुच्छेद 3.4 के प्रावधान। 2 केवल तभी लागू किया जा सकता है जब पक्षों के बीच एक समझौता हो, कि निर्दिष्ट शर्तें [2019] 8 एस. सी. आर.

अनुच्छेद 3.1 में। 2 इनका पालन नहीं किया गया है। आइए हम इस निष्कर्ष की शुद्धता का परीक्षण करें।

28. कलकत्ता गैस कंपनी (प्रोपराइटरी) लिमिटेड बनाम कलकत्ता गैस कंपनी (प्रोपराइटरी) लिमिटेड के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ। पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य

ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 1044 में संविधान की अनुसूची VII में सूची में प्रविष्टियों का अर्थ लगाते हुए इस प्रकार कहा गया हैः

" 8 ..... दोनों सूचियों में दो स्पष्ट रूप से परस्पर विरोधी प्रविष्टियों के सामंजस्य के उद्देश्य से उस निर्णय द्वारा अपनाया गया निर्माण का नियम एक स्पष्ट संघर्ष पर समान रूप से लागू होगा। एक ही सूची में दो प्रविष्टियों के बीच। पतंजलि शास्त्री, जे., जैसा कि वे तब थे, बॉम्बे राज्य बनाम में आयोजित किए गए थे। नरोत्तमदास जेठाभाई, 1951 एससीआर 51: (ए. आई. आर. 1951 एस. सी. 69) कि भारत सरकार अधिनियम, 1935 की सातवीं अनुसूची की सूची II के मद एक में "न्याय का प्रशासन" और "सभी न्यायालयों का गठन और संगठन" शब्दों को उनके दायरे "क्षेत्राधिकार और अदालतों की शक्तियों" को छोड़कर सीमित अर्थों में समझा जाना चाहिए, जो विशेष रूप से सूची II की मद 2 में वर्णित हैं। विद्वान न्यायाधीश के शब्दों में, यदि इस तरह का निर्माण नहीं किया गया था "प्रवेश 1 का व्यापक निर्माण प्रवेश 2 को इसकी सभी सामग्री से वंचित कर देगा और इसे बेकार लकड़ी में बदल देगा।" निर्माण के इस नियम का इस न्यायालय के बाद के किसी भी निर्णय में विरोध नहीं किया गया है। इसलिए, इसे निर्माण के एक सुव्यवस्थित नियम के रूप में लिया जा सकता है कि स्पष्ट रूप से परस्पर विरोधी प्रविष्टियों को सुसंगत बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए।

न केवल अलग-अलग सूचियों की बल्कि एक ही सूची की भी और उस निर्माण को अस्वीकार करना जो इसकी पूरी प्रविष्टियों में से एक को लूट लेगा।

विषय-वस्तु बनाएँ और इसे निरर्थक बना दें "।

यद्यपि उपरोक्त टिप्पणियाँ अनुसूची VII में सूची में प्रविष्टियों का अर्थ लगाते समय की गई हैं और हालांकि

29. पुनः, सी. पी. सी. की धारा 47 और आदेश XXI, नियम 2 के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए, यह न्यायालय सुल्ताना बेगम बनाम सी. पी. सी. के मामले में। ए. आई. आर. 1997 एस. सी. 1006 में प्रेम चंद जैन ने इस प्रकार टिप्पणी की हैः

मेसर्स अदानी पावर (मुद्रा) लिमिटेड। वी. गुजरात नियामक आयोग [बी. आर. गवई, जे.]

" 12. ... . ऊपर बताए गए मामले के कानून के संदर्भ में,

निम्नलिखित सिद्धांत स्पष्ट रूप से स्पष्ट हैं:

(1) यह अदालतों का कर्तव्य है कि वे आमने-सामने के टकराव से बचें

अधिनियम की दो धाराओं के बीच और इसका अर्थ प्रावधान जो प्रत्येक के साथ विरोधाभासी प्रतीत होते हैं

अन्य इस तरह से कि उन्हें सामंजस्यपूर्ण बनाने के लिए।

(2) कानून की एक धारा के प्रावधान नहीं हो सकते हैं

इसके प्रयासों के बावजूद इसे लागू करना असंभव लगता है। उनके बीच सुलह।

(3) इसे सभी न्यायालयों द्वारा हर समय ध्यान में रखा जाना चाहिए।

कि जब एक में दो परस्पर विरोधी प्रावधान हैं अधिनियम, जो एक दूसरे के साथ सुलह नहीं किया जा सकता है, वे

इस तरह से व्याख्या की जानी चाहिए कि, यदि संभव हो, तो प्रभाव दोनों को दिया जाता है। यह नियम का सार है

" सामंजस्यपूर्ण निर्माण "।

(4) न्यायालयों को यह भी ध्यान रखना होगा कि

एक "मृत पत्र" या "बेकार लकड़ी" सामंजस्यपूर्ण नहीं है निर्माण।

(5) सामंजस्य स्थापित करने का अर्थ किसी भी वैधानिक प्रावधान को नष्ट करना नहीं है।

या इसे अनुचित बनाने के लिए "।

(जोर दिया गया)

इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि

वनइज़ का अर्थ किसी भी वैधानिक प्रावधान को नष्ट करना या इसे अनुचित बनाना नहीं है। अनवर हसन खान के मामले में सिद्धांत को दोहराया गया है।

अहमद शफी और अन्य ने ए. आई. आर. 2001 एस. सी. 2984 में रिपोर्ट किया। जबकि

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराए पर देने और बेदखल करने का विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए, इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

" 8. यह तय किया जाता है कि किसी विशेष प्रावधान की व्याख्या करने के लिए

अधिनियम, शब्दों और वाक्यांशों के अर्थ का महत्व और प्रभाव कानून में उपयोग किए गए पाठ, की प्रकृति से एकत्र किया जाना है

विषय-वस्तु और क़ानून के इरादे का उद्देश्य। यह है।

कानून के निर्माण का मूल सिद्धांत कि प्रयास होना चाहिए

संघर्ष से बचकर इसके प्रावधानों का अर्थ लगाने में किया गया और एक सामंजस्यपूर्ण निर्माण को अपनाना। कानून या नियम बनाए गए [2019] 8 एस. सी. आर.

इसके तहत एक प्रावधान को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए और एक प्रावधान को दूसरे प्रावधान के संदर्भ में समझा जाना चाहिए ताकि जिस उद्देश्य को प्राप्त करने की मांग की गई है, उसके अनुरूप प्रावधान। सामंजस्यपूर्ण निर्माण का सर्वविदित सिद्धांत यह है कि सभी प्रावधानों पर प्रभाव डाला जाना चाहिए और एक ऐसा निर्माण जो प्रावधानों में से एक को "मृत पत्र" में बदल देता है, सामंजस्यपूर्ण नहीं है।

निर्माण। '"9

30. समझौते के विभिन्न खंडों में उपरोक्त सिद्धांतों को लागू करते हुए, अनुच्छेद 3.1 के प्रावधानों को सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ने का प्रयास किया जाना चाहिए। 2 , 3.4. 2 और 14.1,14.2,14.3 और 14.4। सभी प्रावधानों को लागू करने का भी प्रयास किया जाना चाहिए। यदि ऐसा पढ़ा जाए, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि अनुच्छेद 14 विभिन्न संभावनाओं से संबंधित है जिनमें खरीदार

या विक्रेता समझौते को समाप्त कर सकता है। अनुच्छेद 14.1 में प्रावधान है -

विक्रेता द्वारा किए गए विभिन्न चूक की स्थिति में समाप्ति। अनुच्छेद 14.3 विक्रेता द्वारा चूक के मामलों में प्रक्रिया का पालन करने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 14.2 खरीददार द्वारा चूक के संबंध में विभिन्न आधार प्रदान करता है। खरीददार द्वारा चूक के मामलों में समाप्ति की प्रक्रिया अनुच्छेद 14.4 में प्रदान की गई है। अनुच्छेद 14.1 और 14.2 में बताए गए आधारों के अवलोकन से पता चलेगा कि ये सामान्य प्रकृति के हैं। इसके विपरीत, अनुच्छेद 3.4 के प्रावधान। 2 यह प्रकट करेगा कि इस अनुच्छेद के तहत समाप्ति केवल तभी की जा सकती है जब अनुच्छेद 3.1 की किसी भी शर्त का पालन नहीं किया जाता है। 2 . बिजली खरीदार और विक्रेता दोनों के लिए उपलब्ध है। हालांकि, किसी भी मामले में, यानी विक्रेता द्वारा समाप्ति या खरीदार द्वारा समाप्ति, प्रति मेगावाट 10 लाख रुपये की दर से नुकसान का एक विशिष्ट प्रावधान है, जबकि लेखों में समाप्ति के परिणाम हैं। 14.1 और 14.2 पूरी तरह से अलग हैं। इस प्रकार, दोनों प्रावधानों को प्रभावी बनाना होगा, जो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं।

31. हम पाते हैं कि आयोग और अपीलीय न्यायाधिकरण दोनों ने यह निष्कर्ष निकालने में घोर गलती की है कि समाप्ति प्रभावी हो सकती है।

अनुच्छेद 3.4 के तहत। 2 केवल तभी जब अनुच्छेद 3.4 के तहत शर्तों का पालन न करने के संबंध में कोई समझौता हो। 2 दोनों पक्षों द्वारा। यदि अपीलीय न्यायाधिकरण के निष्कर्ष को स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह राशि होगी -

अनुच्छेद 3.4 के प्रावधान करना। 2 एक मृत पत्र और उन्हें ओटिएज़ प्रस्तुत करना।

32. हम आगे पाते हैं कि आयोग के साथ-साथ अपीलीय न्यायाधिकरण ने कानून के एक अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत की दृष्टि खो दी है। यह

जे. के. कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम के मामले में अदालत। उत्तर प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 1170 में सूचित किया गया, जबकि मैसर्स अदानी पावर (मुद्रा) लिमिटेड।

वी. गुजरात विद्युत नियामक आयोग [बी. आर. गवई, जे.]

यू. पी. के खंड 5 (ए) और खंड 23 के प्रावधानों का अर्थ निकालना। औद्योगिक विवाद अधिनियम और उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत जारी उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश में इस प्रकार कहा गया हैः

" (10) निर्माण के इस नियम को लागू करते हुए कि एक विशिष्ट प्रावधान और एक सामान्य प्रावधान के बीच संघर्ष के मामलों में विशिष्ट प्रावधान सामान्य प्रावधान और सामान्य प्रावधान पर हावी होता है। प्रावधान केवल ऐसे मामलों पर लागू होता है जो विशेष प्रावधान के दायरे में नहीं आते हैं, हमें उस धारा को लागू करना चाहिए। 5 (क) का उस मामले में कोई आवेदन नहीं है जहां सी. एल. के विशेष प्रावधान हैं। 23 लागू होते हैं। "

33. उक्त सिद्धांत को इस न्यायालय द्वारा महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और माध्यमिक बोर्ड के मामले में अपने फैसले में दोहराया गया है। उच्च माध्यमिक शिक्षा और अन्य। बनाम परितोष भुपेशकुमार सेठ और अन्य। (1984) 4 एस. सी. सी. 27 में सूचित किया गया। उक्त निर्णय का पैरा 20 इस प्रकार हैः

" 20. हम मानते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा बनाया गया उपरोक्त दृष्टिकोण पूरी तरह से गलत है और व्याख्या के सुस्थापित सिद्धांत का पालन करने में इसकी विफलता से दूषित है कि किसी वैधानिक अधिनियम में या उसके तहत बनाए गए नियमों/विनियमों में निहित होने का इस तरह से अर्थ लगाया जाना चाहिए कि वे एक-दूसरे के अनुरूप हों और जहां किसी विशिष्ट धारा या नियम के तहत किसी विशेष विषय को विशेष व्यवहार प्राप्त हुआ हो, तो ऐसा विशेष प्रावधान किसी भी सामान्य प्रावधान की प्रयोज्यता को बाहर कर देगा जो अन्यथा उक्त विषय को शामिल कर सकता है।

34. वर्तमान मामले में, विभिन्न अनुच्छेदों का अवलोकन किया जाएगा

यह बताता है कि अनुच्छेद 14 के तहत प्रावधान सामान्य प्रकृति के हैं। अनुच्छेद 3.4 के तहत प्रावधान। 2 विशिष्ट है, केवल अनुच्छेद 3.1 के तहत प्रदान की गई किसी भी शर्त का पालन न करने के मामले में लागू किया जाना है। 2 . इस प्रकार, अनुच्छेद 3.4 में विशेष प्रावधान किया गया है। 2 अनुबंध के अनुच्छेद 14 में निहित सामान्य प्रावधानों की प्रयोज्यता को बाहर कर देगा।

35. कानूनी स्थिति पर विचार करने के बाद, आइए हम मामले के कुछ तथ्यात्मक पहलुओं की जांच करें। यह ध्यान रखना प्रासंगिक होगा कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दिनांक 2.01.2007 बोली में, यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि परियोजना जी. एम. डी. सी. से कोयले की आपूर्ति पर आधारित है। 36. प्रस्तावित परियोजना का विवरण देने वाले बोली दस्तावेज में अनुलग्नक 3 के खंड 1.2 का उल्लेख करना भी प्रासंगिक होगा। खंड

1.2 इस प्रकार पढ़ता हैः

19] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 1.2 ईंधनः

प्रमुख सदस्य, अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने स्वदेशी के साथ समझौता किया है।

जी. एम. डी. सी. के साथ परियोजना की कोयले की आवश्यकता, जो

छत्तीसगढ़ राज्य में मोरगा द्वितीय कोयला ब्लॉक का आवंटन। इसके अलावा

इष्टतम तकनीक के साथ ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित करने की दृष्टि से वाणिज्यिक मानकों पर, हमने मैसर्स कोल ऑर्बिस ट्रेडिंग जी. एम. बी. एच., जर्मनी और मैसर्स कोवा कंपनी लिमिटेड के साथ आयातित कोयले की आपूर्ति के लिए भी समझौता किया है और तदनुसार उनके साथ अलग-अलग समझौता ज्ञापनों को निष्पादित किया है।

वे क्रमशः 9 सितंबर 2006 और 21 दिसंबर 2006 को थे।

37. उक्त बोली दस्तावेज में दी गई परियोजना के संक्षिप्त सारांश में, अपीलार्थी द्वारा विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि बोली जी. एम. डी. सी. द्वारा की गई स्वदेशी कोयले की आपूर्ति के आधार पर प्रस्तुत की गई थी। बोली दस्तावेज भी पक्षों के बीच पी. पी. ए. का हिस्सा हैं।

38. यह ध्यान देने योग्य होगा कि अपीलकर्ता द्वारा खरीददार को दिनांक 15.11.2008 के संचार के बाद बोली संख्या 2 के तहत बिजली की आपूर्ति के लिए जी. एम. डी. सी. के साथ लंबित एफ. एस. ए. के मद्देनजर पी. पी. ए. को समाप्त करने के अपने इरादे से सूचित करते हुए, गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक, खरीददार ने प्रधान सचिव, ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स विभाग, गुजरात सरकार को एक संचार संबोधित किया था, जिसमें इस मुद्दे के बाद से उपयुक्त निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया था। जी. एम. डी. सी. को आवंटित खदानों से कोयले के आवंटन के संबंध में गुजरात सरकार के दायरे में था। इसके बाद, उद्योग और खान विभाग के उप सचिव,

गुजरात सरकार ने जी. एम. डी. सी. के प्रबंध निदेशक को एक पत्र लिखा। निम्नलिखित भाग को अभिलिखित करना प्रासंगिक होगा।

उक्त पत्र।

" (ख) जहां तक नैनी ब्लॉक का संबंध है, जी. एम. डी. सी. ने पहले ही मैसर्स को मोरगा-II खदानों से कोयले की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्धता दी थी। अडानी लिमिटेड, 1000 मेगावाट के संयंत्र के लिए जिसके आधार पर मेसर्स. अडानी ने गुजरात बस-बार में जी. यू. वी. एन. एल. को प्रतिस्पर्धी शुल्क बोली में अपनी बोली प्रस्तुत की। इस पहलू और राज्य के लिए पूर्ण उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, 50 प्रतिशत ब्लॉक को मेसर्स दिया जा सकता है। अडानी लिमिटेड और शेष 50 प्रतिशत ब्लॉक विशेष रूप से टोरेंट पावर लिमिटेड को दिया जा सकता है। गुजरात की आवश्यकता के लिए बिजली प्रदान करें। एम / s.Adani और M / s.TPL को नैनी ब्लॉक से

उत्पन्न बिजली विशेष रूप से जी. यू. वी. एन. एल. को बेचनी होगी। किसी और को व्यापारी बिक्री की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

मेसर्स अदानी पावर (मुद्रा) लिमिटेड। वी. गुजरात विद्युत नियामक आयोग [बी. आर. गवई, जे.]

2. इसलिए अब आपसे अनुरोध है कि आप मैसर्स के साथ मोरगा ब्लॉक से कोयला आवंटन के लिए जाएं। विस्तृत एफ. एस. ए. के माध्यम से के. एस. के. और नैनी ब्लॉक से 50 प्रतिशत कोयला मेसर्स को देना। अडानी और शेष 50 प्रतिशत कोयला एम / s.Torrent पावर लिमिटेड, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।

39. इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि गुजरात सरकार ने भी स्पष्ट रूप से संकेत दिया है कि प्रतिस्पर्धी बोली में अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत बोली जी. एम. डी. सी. द्वारा मोरगा-2 खदानों से कोयले की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्धता के आधार पर थी। इसलिए इसने जी. एम. डी. सी. के प्रबंध निदेशक से अनुरोध किया है कि वे मोरगा ब्लॉक से 50 प्रतिशत कोयला अपीलार्थी को दें। इसलिए राज्य सरकार ने अनुरोध किया था कि जी. एम. डी. सी. के प्रबंध निदेशक को मोरगा ब्लॉक से कोयला आवंटन के लिए जाना चाहिए।

40. यह भी ध्यान देने योग्य होगा कि 30.12.2009 पर, खरीददार के कार्यकारी (वित्त) ने प्रधान सचिव, ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल विभाग, गुजरात सरकार को एक पत्र लिखा है।

अपीलार्थी द्वारा 28.12.2009 पर जारी किए गए पत्र का उल्लेख करते हुए। अनुच्छेद 3.4 का उल्लेख करने के बाद। 2 पी. पी. ए. के बारे में, उक्त संचार में निम्नानुसार कहा गया हैः

" उपरोक्त परिस्थितियों के आलोक में गुजरात सरकार से अनुरोध है कि वह एम / s.APL के नोटिस को वापस लेने के लिए

बोली विनिर्देश सं. 1000 मेगावाट की आपूर्ति के लिए जी. यू. वी. एन. एल. के साथ निष्पादित 2 फरवरी, 2007 को पी. पी. ए. की समाप्ति। 02 / एल. टी. पी. पी./2006 और मेसर्स के साथ एफ. एस. ए. के निष्पादन के लिए त्वरित आवश्यक कार्रवाई के लिए जी. एम. डी. सी. पर भी जोर दें। ए. पी. एल. राज्य की भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए जी. यू. वी. एन. एल. को प्रतिस्पर्धी दर पर 1000 मेगावाट बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। गुजरात सरकार से और अनुरोध किया जाता है

कृपया इस मामले में आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए जी. यू. वी. एन. एल. को उपयुक्त निर्देश जारी करें।

41. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि खरीददार भी इस बात से अवगत था कि अपीलार्थी की बोली द्वारा की गई प्रतिबद्धता के आधार पर थी -

जी. एम. डी. सी. स्वदेशी कोयले की आपूर्ति करेगा।

42. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह देखा जा सकता है कि अपीलार्थी

साथ ही खरीदार और गुजरात सरकार भी स्पष्ट रूप से

यह समझ में आया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत बोली जी. एम. डी. सी. की स्वदेशी कोयले की आपूर्ति करने की प्रतिबद्धता के आधार पर थी। यह उल्लेख करना उचित होगा कि अपीलार्थी ने एफ. एस. ए. [2019] 8 एस. सी. आर. को अंतिम रूप न देने के कारण पी. पी. ए. को समाप्त करने के अपने इरादे की सूचना देते हुए नोटिस भेजे थे।

जी. एम. डी. सी. के साथ और परियोजना के चालू होने और खरीदार को बिजली की आपूर्ति शुरू होने से बहुत पहले अनुबंध को समाप्त कर दें। पी. पी. ए. के अनुलग्नक III में ही यह दिखाया जाएगा कि संचालन की अपेक्षित वाणिज्यिक तिथि जनवरी, 2012 है, जबकि समाप्ति अधिसूचना दिनांक 28.12.2009 है। अभिलेख पर रखी गई सामग्री से पता चलेगा कि अपीलार्थी ने रुपये की दर से बिजली की आपूर्ति की है। 2.35 इसके द्वारा पी. पी. ए. को समाप्त करने के बाद प्रति इकाई (बोली के अनुसार) का पालन करने के लिए आयोग द्वारा जारी किए गए निर्देश। यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि अपीलकर्ता दो बोलियों यानी बोली संख्या 1 और बोली संख्या 2 के संबंध में एक सफल बोलीदाता था। जहां तक बोली संख्या 2 का संबंध है, जो वर्तमान कार्यवाही का विषय है, अपीलार्थी की बोली रुपये की दर से स्वीकार की गई थी। 2.35 जबकि उसी बोली प्रक्रिया में, बोली संख्या 1 के लिए अपीलार्थी की बोली रुपये की दर से स्वीकार की गई थी। 2.89 प्रति इकाई। उक्त परियोजना को आयातित कोयले की आपूर्ति के आधार पर निष्पादित किया जाना था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पक्षकार इस बात से बहुत अवगत थे कि बोली संख्या 1 के लिए खरीदार की बोली, जो बोली संख्या 2 की कीमत से बहुत कम कीमत पर थी, जी. एम. डी. सी. से अपीलार्थी के प्रति प्रतिबद्धता के कारण थी कि वह उसे स्वदेशी कोयले की आपूर्ति करेगा।

43. मामले के उस दृष्टिकोण में, जी. एम. डी. सी. द्वारा अपनी प्रतिबद्धता से पीछे हटने और अपीलार्थी के साथ एफ. एस. ए. में प्रवेश करने से इनकार करने के बाद,

अपीलार्थी को अनुच्छेद 3.4 का आह्वान करने में उचित ठहराया गया था। 2 अनुच्छेद 3.1 में शर्त सं. (ii) का पालन न करने को ध्यान में रखते हुए पी. पी. ए. 2 क्योंकि यह ईंधन आपूर्ति समझौते का उत्पादन करने में विफल रहा था। अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्णय के अनुच्छेद 70 को संदर्भित करना भी प्रासंगिक होगा। पैराग्राफ 70 इस प्रकार हैः

" मान लीजिए, विक्रेता, बोली में उल्लिखित अपीलार्थी दस्तावेजों में कहा गया है कि "अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने गुजरात खनिज के साथ परियोजना की स्वदेशी कोयले की आवश्यकताओं के लिए समझौता किया है।

विकास निगम, जिसे छत्तीसगढ़ राज्य में मोरगा-II ब्लॉक आवंटित किया गया है। अपीलार्थी ने बोली दस्तावेजों में यह भी उल्लेख किया है कि ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए,

उन्होंने दो विदेशी कंपनियों के साथ आयातित कोयले की आपूर्ति के लिए समझौता किया है और तदनुसार उनके साथ दिनांक 9.9.2006 और 21.12.2006 का अलग-अलग समझौता ज्ञापन निष्पादित किया है। ”

44. उपरोक्त निष्कर्ष के आलोक में, हम यह समझने में विफल हैं कि अपीलीय न्यायाधिकरण इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा है कि

अपीलार्थी जी. एम. डी. सी. द्वारा मेसर्स अदानी पावर (मुद्रा) लिमिटेड के प्रति प्रतिबद्धता के आधार पर नहीं था।

स्वदेशी कोयले की आपूर्ति करें। हमारा विचार है कि अपीलीय न्यायाधिकरण ने तथ्यों और कानून दोनों में गलती की है। हमारा विचार है कि अपीलार्थी कानून के साथ-साथ तथ्यों पर भी अनुच्छेद 3.4 लागू करने का हकदार था। 2 पी. पी. ए. का गठन करें और समझौते को समाप्त करें।

45. यह अभिनिर्धारित करने के बाद कि समाप्ति कानूनी और वैध थी, सवाल उठता है कि अपीलार्थी को क्या राहत दी जानी है। के आधार पर

आयोग और अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश के अनुसार, अपीलार्थी प्रत्यर्थी संख्या 2, खरीददार को बिजली की आपूर्ति जारी रखे हुए है, हालांकि यह अपीलार्थी का तर्क है कि वह ऐसा करके नुकसान उठा रहा है।

46. यह बाद के कुछ विकासों को संदर्भित करने के लिए प्रासंगिक होगा।

अपीलार्थी ने निम्नलिखित राहतों के लिए 2015 के अंतर्वर्ती आवेदन संख्या 4 द्वारा इस न्यायालय का दरवाजा खटखटायाः

" (अ)

विवादित फैसले के संचालन पर रोक लगाने के लिए

7.9.2011 और इस अपील के लंबित रहने के दौरान पी. पी. ए. के संदर्भ में बिजली की आगे की आपूर्ति को निलंबित कर दिया।

प्रार्थना के विकल्प में (ए) ऊपर, विचाराधीनता के दौरान

(ख)

माननीय न्यायालय की सिविल अपील के साथ

प्रत्यर्थी (ओं) को लागत और अधिक के आधार पर शुल्क के लिए सी. ई. आर. सी. मानदंडों के अनुसार शुल्क का भुगतान करने का निर्देश दे सकता है और पी. पी. ए. के तहत बिजली की आपूर्ति की तारीख से पी. पी. ए. शुल्क और सी. ई. आर. सी. मानदंडों के अनुसार शुल्क के लिए शुल्क के बीच अंतर राशि का भुगतान भी कर सकता है।

47. उक्त आवेदन से पहले विचार के लिए आया था

जे. चेलमेश्वर और अभय मनोहर सप्रे, जे. जे. की पीठ। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त आई. ए. में प्रत्यर्थी संख्या 2, खरीददार की ओर से 23.11.2015 दिनांकित एक हलफनामा दायर किया गया था। इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 3.12.2015 के आदेश में उद्धृत हलफनामे में किए गए कथनों पर ध्यान देना प्रासंगिक होगा।

" 15. मेरा कहना है कि प्रतिवादी के अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना

संख्या 2 वर्तमान अपील को चुनौती देने के लिए, गुजरात सरकार की मंजूरी के साथ उत्तरदाता ने पहले ही पैराग्राफ [2019] 8 एस. सी. आर. के अधीन (सी. ई. आर. सी. आदेश के अगले

महीने यानी मार्च 2014 से) संभावित रूप से प्रतिपूरक शुल्क का भुगतान करने की अपनी इच्छा दिखा दी है।

12 और उपरोक्त 13 शुल्क में उपयुक्त समायोजन करके मुद्दे को हल करने के लिए जो अपीलार्थी और अन्य हितधारकों द्वारा अस्वीकृति के कारण आज तक लागू नहीं किया गया है।

16. मैं कहता हूं कि वर्तमान अपीलों में अपने अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना प्रतिवादी संख्या 2 राज्य सरकार के निर्णयों को लागू करने के लिए तैयार है। माननीय न्यायालय के निर्देशों पर प्रशुल्क में उपयुक्त समायोजन करके मुद्दे को हल करने के लिए संभावित रूप से प्रतिपूरक प्रशुल्क का भुगतान करने के लिए (सी. ई. आर. सी. के आदेश के अगले महीने यानी मार्च 2014 से)। .....

48. इस न्यायालय ने पक्षों को सुनने के बाद कहा कि जहां तक आपूर्तिकर्ता/खरीददार को प्रतिपूरक शुल्क का भुगतान करने की अनुमति देने का सवाल है, जैसा कि उसके जवाबी हलफनामे में बताया गया है, इसके लिए इस न्यायालय से अनुमति की आवश्यकता नहीं है और यह आपूर्तिकर्ता/खरीददार को कानून के अनुसार निर्णय लेना है।

49. एक बार जब हम यह मान लेते हैं कि समाप्ति वैध और कानूनी है, तो सवाल उठेगा कि अपीलार्थी किस दर पर क्षतिपूर्ति शुल्क का हकदार है।

बिजली की आपूर्ति की तारीख से। निर्विवाद रूप से, पी. पी. ए. के वैध रूप से समाप्त होने के बाद भी, अपीलार्थी ने परियोजना को उसके तार्किक अंत तक ले जाना जारी रखा। परियोजना के चालू होने के बाद, इसने आयोग के निर्णय के अनुसार खरीदार को बिजली की आपूर्ति शुरू कर दी है और

अपीलीय न्यायाधिकरण। अपीलार्थी ने इस पर भारी खर्च किया होगा। आर्थिक न्याय करने के लिए, व्यावसायिक प्रभावकारिता के सिद्धांत पर, अपीलार्थी परियोजना की लागत के समायोजन का हकदार होगा और परियोजना को पूरा करने के लिए उसके द्वारा किए गए व्यय पर ब्याज का भी हकदार होगा। खुले बाजार से कोयला प्राप्त करने के बाद परियोजना को चलाने के लिए होने वाले खर्च को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। अपीलार्थी केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (संक्षेप में "सी. ई. आर. सी".) द्वारा निर्धारित दर के निर्धारण पर भुगतान प्राप्त करने के बाद भुगतान में देरी पर ब्याज का भी हकदार होगा। लेकिन हम पाते हैं कि उस अभ्यास में जाना हमारे लिए उचित नहीं होगा।

50. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62, सी. ई. आर. सी. द्वारा शुल्क के निर्धारण के लिए संपूर्ण तंत्र प्रदान करती है। यह भी ध्यान रखना प्रासंगिक होगा कि सी. ई. आर. सी. (शुल्क के नियम और शर्तें) विनियम 2009 विभिन्न कारकों पर भी विचार करता है जिन्हें सी. ई. आर. सी. द्वारा निर्धारित करते समय ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। प्रतिपूरक शुल्क। हम पाते हैं कि एएनआई पावर (मुद्रा) लिमिटेड को हटा देना उचित होगा।

वी. गुजरात वाई नियामक आयोग [बी. आर. गवई, जे.]सी. पी. पी. ए. की समाप्ति की तारीख से देय प्रतिपूरक शुल्क के निर्धारण के लिए। इसके बाद खरीददार सी. ई. आर. सी. द्वारा रद्द किए गए प्रमाण पत्र दिनांक 23.11.2015 के अनुसार राशि को समायोजित करने का हकदार होगा।

सीई, निम्नलिखित क्रमः

अपील की अनुमति है।

पी. पी. ए. की समाप्ति की सूचना दिनांक 28.12.2009 को कानूनी और वैध माना जाता है। यह भी घोषित किया जाता है कि पी. पी. ए. वैध रूप से समाप्त हो गया था

04.01.2010 .

अपीलार्थी क्षतिपूर्ति शुल्क के निर्धारण के लिए सी. ई. आर. सी. से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसमें शामिल हैं -

पैराग्राफ 49 में उल्लिखित विभिन्न पहलू, जो उसके द्वारा खरीददार को बिजली की आपूर्ति की तारीख से देय हैं। सी. ई. आर. सी. को निर्देश दिया जाता है कि वह उपरोक्त मुद्दे पर हमारे द्वारा देखे गए विचारों के आलोक में और संविधान की धारा 62 के प्रावधानों के आलोक में निर्णय ले।

बिजली अधिनियम और साथ ही सी. ई. आर. सी. (शुल्क के नियम और शर्तें) विनियम, 2009 तीन वर्षों की अवधि के भीतर

खरीदार अपने निर्धारण की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर सी. ई. आर. सी. द्वारा निर्धारित अपीलार्थी को भुगतान करेगा। खरीददार राशि को समायोजित करने का हकदार होगा यदि वह पहले से ही अपने दिनांकित शपथ पत्र के अनुसरण में भुगतान कर चुका है।

23.11.2015 द्वारा इस प्रकार निर्धारित राशि से

आपूर्तिकर्ता। खरीदार अपीलार्थी से उसके द्वारा वसूली योग्य शेष राशि को समायोजित करने का हकदार होगा।

रुपये के परिसमापन नुकसान के लिए। 100 करोड़।

लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

अपील की अनुमति दी गई।